[2020] 10 एस. सी. आर 791

AVITEL POST STUDIOZ LIMITED & ORS।

वी.

एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मॉरिटियस) लिमिटेड

(2016 की सिविल अपील सं. 5145)

19 अगस्त, 2020

[आर. एफ. नरीमन और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 9- अनुबंध अधिनियम, 1872। 17 और 18-एक शेयर सदस्यता समझौता (एसएसए) और

दावेदार और अपीलकर्ताओं के बीच शेयरधारकों का समझौता (एस. एच. ए.) किया गया था-एस. एस. ए. और एस. एच. ए. दोनों में एक समान मध्यस्थता खंड था-यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ताओं ने एक अभ्यावेदन दिया था कि वे ब्रिटिश प्रसारण निगम (बी. बी. सी.) के साथ एक अनुबंध को अंतिम रूप देने के बहुत उन्नत चरण में थे। बी. बी. सी. की फिल्म लाइब्रेरी को 2 डी से 3 डी में परिवर्तित करें-इस अनुबंध से पहले चरण में 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद थी।

और अंततः 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक-इसके अनुसार, दावेदार ने अपनी चुकता पूंजी का 7.8 प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अपीलकर्ताओं की इक्विटी पूंजी में 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया-दावेदार ने पाया कि कथित बीबीसी अनुबंध अस्तित्व में नहीं था और अपीलकर्ताओं द्वारा दावेदारों को अपीलकर्ताओं के शेयरों में 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उपरोक्त धन निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए स्थापित किया गया था-यह भी आरोप लगाया गया था कि 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पूरी निवेश आय को उन कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया था जिनमें अपीलकर्ताओं की हिस्सेदारी थी-जैसे ही पक्षों के बीच विवाद पैदा हुआ, दावेदार द्वारा सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र को मध्यस्थता के नोटिस जारी किए गए थे।

मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करें-आपातकालीन मध्यस्थ ने दावेदार के पक्ष में दो अंतरिम पुरस्कार पारित किए-दावेदार ने यू/एस आवेदन दायर किया। 9 1996 के अधिनियम के अनुसार-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को अपने खाते में कोई भी कमी जमा करने का निर्देश दिया ताकि 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की शेष राशि बनाए रखी जा सके-हालांकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलकर्ताओं को 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आधा यानी 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर जमा करने का निर्देश दिया-एक अंतिम निर्णय द्वारा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने माना कि दावेदार कुल 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि और ब्याज और लागत में हर्जाने का हकदार था-विदेशी

अपीलार्थी यू/एस द्वारा पुरस्कार को चुनौती दी गई थी। 34 उच्च न्यायालय के समक्ष-याचिका यू/एस। 34 उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था-एक अपील यू/एस। 37 1996 के अधिनियम को भी खारिज कर दिया गया था-इस बीच, दावेदार ने विदेशी कानून को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। अंतिम निर्णय-उच्चतम न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी ने तर्क दिया

कि यदि पक्षों के बीच किए गए लेन-देन में जालसाजी और प्रतिरूपण जैसे गंभीर आपराधिक अपराध शामिल हैं, तो यह स्पष्ट है कि भारतीय कानून के तहत, ऐसा विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं होगा - दावेदार ने प्रतिवाद किया कि मुद्दे मुख्य रूप से नागरिक कानून के मुद्दे थे जिन्हें पक्षों के बीच तय किया जाना था-पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने

तैयार किया गया प्रश्नः क्या एस में दावेदार के पक्ष में एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। 9 कार्यवाही-क्या सुविधा का संतुलन दावेदार के पक्ष में झुकता है-आयोजितः तथ्यों के संदर्भ में और उच्चतम न्यायालय के फैसलों का पालन करते हुए,

विदेशी अंतिम निर्णय में उठाए गए और जवाब दिए गए मुद्दों से संकेत मिलता है कि ऐसी कोई धोखाधड़ी नहीं है जो मध्यस्थता को दूषित कर सके। एस. एस. ए. में पक्षकारों के बीच किया गया खंड क्योंकि यह स्पष्ट है कि इस खंड को एक स्वतंत्र खंड के रूप में पढ़ा जाना चाहिए-इसके अलावा, कोई भी

यह निष्कर्ष निकालना कि अनुबंध स्वयं या तो अमान्य है या धोखाधड़ी या गलत निरूपण के परिणामस्वरूप अमान्य है, मध्यस्थता खंड की अयोग्यता को शामिल नहीं करता है-इसके अलावा, प्रतिरूपण, गलत है।

किए गए प्रतिनिधित्व और धन का विचलन सभी अंतर-पक्ष हैं, जिनका कोई सार्वजनिक स्वाद नहीं है और 'धोखाधड़ी अपवाद' को आकर्षित करते हैं-ए

विदेशी अंतिम पुरस्कार को पढ़ने से पता चलता है कि एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था क्योंकि पुरस्कार बीबीसी लेनदेन को एक आधार के रूप में रखता है जिसके आधार पर अनुबंध किया गया था और 60 अमरीकी डॉलर

अनुबंध यू/एस में प्रवेश करने के लिए प्रलोभन। 17 अनुबंध अधिनियम-द उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर को अलग रखने का आदेश उचित था-हालाँकि, 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी

उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना उचित नहीं था-दावेदार ने प्रथम दृष्टया एक मजबूत मामला बनाया है

इसके लिए 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, जो कि मूल राशि है। उन्हें सम्मानित किया जाता है, एकल द्वारा इंगित तरीके से अलग रखा जाता है

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-सुविधा का संतुलन भी इसके पक्ष में है।

AVITEL POST STUDIOZ LIMITED & ORS। वी. एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मॉरिटियस) लिमिटेड

2016 की सिविल अपील No.5145 को खारिज करना और 2016 की सिविल अपील No.5158 को अनुमति देना, सिविल अपील सं। 9820 2016 में, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. यह पता लगाने के लिए कि क्या दावेदार के पक्ष में प्रथम दृष्टया कोई मजबूत मामला सामने आया है

इसमें अपीलार्थियों द्वारा नियंत्रित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, यह पाया गया कि दावेदार, धोखाधड़ी से गलत तरीके से प्रस्तुत करने के अपने दावे और धोखाधड़ी के लिए अपकृत्य में अपने दावे के संबंध में, 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल राशि के साथ-साथ ब्याज और दी गई लागत के नुकसान का हकदार है। [पैरा 20] [843-ए-बी; 844-एफ; 852 जी] 2. विदेशी अंतिम पुरस्कार में मुद्दों और कुछ भौतिक निष्कर्षों को पढ़ने के बाद इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उठाए गए और उत्तर दिए गए मुद्दे विषय वस्तु हैं।

आपराधिक कार्यवाही के विपरीत दीवानी। यह तथ्य कि एक अलग आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी और हो सकता है कि यह विफल रही हो, इसका कोई परिणाम नहीं है। इसलिए, इन तथ्यों के संदर्भ में और उच्चतम न्यायालय के फैसलों के बाद, यह संकेत मिलता है कि विदेशी अंतिम पुरस्कार में उठाए गए और जवाब दिए गए मुद्देः

(i) कि ऐसी कोई धोखाधड़ी नहीं है जो पक्षों के बीच किए गए एस. एस. ए. में मध्यस्थता खंड को दूषित कर दे जैसा कि स्पष्ट है।

कि इस खंड को एक स्वतंत्र खंड के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, कोई भी निष्कर्ष कि अनुबंध या तो अमान्य है या धोखाधड़ी या गलत निरूपण के परिणामस्वरूप अमान्य है, का अर्थ यह नहीं है कि

मध्यस्थता खंड की अयोग्यता जो अत्यंत व्यापक है। ((ii) यह कि प्रतिरूपण, किए गए झूठे अभ्यावेदन और धन का विचलन सभी अंतर-पक्ष हैं, जिनका कोई "सार्वजनिक स्वाद" नहीं है।

जैसा कि पहले बताया गया है ताकि "धोखाधड़ी अपवाद" को आकर्षित किया जा सके। [पैरा 21] [853-बी-एफ]

3. इस प्रकार, इस मामले में विदेशी अंतिम पुरस्कार को पढ़ने से पता चलेगा कि वास्तव में एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है

क्योंकि पुरस्कार बीबीसी लेनदेन को एक आधार के रूप में मानता है जिसके आधार पर अनुबंध किया गया था और दावेदार द्वारा 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया था, जो स्पष्ट रूप से अनुबंध अधिनियम की धारा 17 के तहत अनुबंध में प्रवेश करने के लिए धोखाधड़ी के प्रलोभन के अंतर्गत आता है।

0] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसा अनुबंध दावेदार के कहने पर अमान्य होगा। इसके अलावा, बीबीसी अनुबंध के प्रदर्शन के लिए आवंटित किए जाने वाले धन की हेराफेरी पर निष्कर्ष छल के अत्याचार को आकर्षित करेंगे। इस तरह के धोखाधड़ीपूर्ण गलत निरूपण के लिए नुकसान का माप अनुबंध करने की तारीख को शेयरों के मूल्य और दावेदार को प्राप्त होने वाले मूल्य के बीच का अंतर नहीं है, अगर उसने खरीद के बाद उन शेयरों को बाजार में फिर से बेच दिया होता। इस तरह के नुकसान का उपाय दावेदार को उसी स्थिति में रखना होगा जैसे कि अनुबंध कभी नहीं किया गया था, जो कि शेयरों के लिए भुगतान की गई कीमत और सभी परिणामी नुकसान की वसूली का अधिकार है। यह मामला होने के कारण, ऐसे मामलों में नुकसान के माप के बारे में डिवीजन बेंच के निष्कर्ष को स्वीकार करना मुश्किल है। [पैरा 22] [853 एफ-एच; 854-ए-बी]

4. जहाँ तक दावेदार की अपील का संबंध है, इस न्यायालय का विचार है कि इसमें 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सार है कि

एकल न्यायाधीश (उच्च न्यायालय) के आदेश के अनुसार अलग रखा जाना था, मामले के तथ्यों में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण था क्योंकि यह केवल मूल राशि है जो बिना किसी ब्याज या लागत के रखी जानी चाहिए। एक तरफ। इसके अलावा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटाकर 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर करना उचित नहीं है।

इस मामले के तथ्यों में नुकसान के माप पर हमारा निष्कर्ष। [पैरा 23] [854-बी-डी]

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय में तथ्यों पर किया गया कोई भी निष्कर्ष केवल प्रथम दृष्टया निर्णय लेने के उद्देश्य से है

धारा 9 याचिका। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दावेदार ने प्रथम दृष्टया एक मजबूत मामला बनाया है जिसमें यह आवश्यक है कि 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो उन्हें दी गई मूल राशि है, को बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा इंगित तरीके से अलग रखा जाए। सुविधा का संतुलन भी इसके पक्ष में है। यह स्पष्ट है कि यदि दावेदार 1996 के अधिनियम की धारा 48 के अनुसार भारत में विदेशी अंतिम पुरस्कार को लागू करना चाहता है, तो उसे तब तक अपूरणीय नुकसान होगा जब तक कि कम से कम मूल राशि को भारत में पुरस्कार को लागू करने के उद्देश्यों के लिए अलग नहीं रखा गया था। [पैरा 24] [854-ई-एफ]

एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वर्की

निर्माण कंपनी (पी) लिमिटेड (2010) 8 एस. सी. सी. 24: [2010] 8 एससीआर 1053; बूज़ एलन एंड हैमिल्टन इंक. बनाम।

एस. बी. आई. होम एविटेल पोस्ट स्टडीज लिमिटेड और ओ. आर. एस. वी. एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मॉरिटियस) लिमिटेड

फाइनेंस लिमिटेड (2011) 5 एस. सी. सी. 532: [2011] 7 एस. सी. आर. 310; हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड बनाम। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड (1999) 5 एससीसी 688 [1999] 3 एससीआर 861; विमल किशोर शाह बनाम। जायेश दिनेश शाह (2016) 8 एस. सी. सी. 788: [2016] 7 एस. सी. आर. 102; ए. अय्यासामी बनाम। ए. परमशिवम (2016) 10 एससीसी 386 [2016] 11 एससीआर 521; अमित लालचंद शाह बनाम। ऋषभ एंटरप्राइजेज (2018) 15 एससीसी 678: [2018] 6 एससीआर 1001; राशिद रज़ा बनाम। सदफ अख्तर (2019) 8 एससीसी 710 [2019] 12 एससीआर 460; किशन सिंह बनाम। गुरपाल सिंह (2010) 8 एस. सी. सी. 775 [2010] 10 एस. सी. आर. 16; गुरु ग्रंथ साहब स्थान मीरघाट वनरस बनाम। वेद प्रकाश

(2013) 7 एस. सी. सी. 622-पर निर्भर था।

अब्दुल कादिर शम्सुद्दीन बुबरे बनाम। माधव प्रभाकर ओक [1962] 3 एससीआर 702; स्विस टाइमिंग लिमिटेड बनाम। राष्ट्रमंडल खेल 2010 आयोजन समिति (2014) 6 एससीसी 677: [2014] 6 एस. सी. आर. 514; विद्या द्रोलिया और अन्य। वी. दुर्गा व्यापार निगम (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 358; एन. राधाकृष्णन बनाम। उस्ताद। इंजीनियर (2010) 1 एस. सी. सी. 72: [2009] 15 एससीआर 371; के. जी. प्रेमशंकर बनाम पुलिस निरीक्षक (2002) 8 एस. सी. सी. 87: [2002] 2 पूरक। एससीआर 350; सैयद अस्करी हादी अली ऑगस्टीन इमाम बनाम। राज्य (दिल्ली प्रशासन) (2009) 5 एससीसी

528 : [2009] 3 एस. सी. आर. 1017; पी. स्वरूपा रानी बनाम एम. हरि नारायण (2008) 5 एससीसी 765: [2008] 3 एससीआर 900; एमएस शेरिफ बनाम मद्रास राज्य [1954] एससीआर 1144; वी. एम. शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (1995) 5 एससीसी 767: [1995] 3 पूरक। एस. सी. आर. 79; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम संबद्ध

ठेकेदार (2015) 1 एससीसी 32: [2014] 10 एस. सी. आर. 426; हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। पिंकसिटी

मिडवे पेट्रोलियम (2003) 6 एस. सी. सी. 503; पी. आनंद गजपति राजू बनाम। पी. वी. जी. राजू (2000) 4 एससीसी 539: [2000] 2 एस. सी. आर. 684; त्रिपुरा राज्य बनाम पूर्वी बंगाल प्रांत, भारत संघ [1951] एस. सी. आर. 1; एलर्मन और

बकनाल स्टीमशिप कं. लिमिटेड वी. शार मिसरीमल भेराजी [1966] सप्लीमेंट एससीआर 92-संदर्भित।

फजल डी. अल्लाना बनाम। मंगलदास एम. पाकवासा ए. आई. आर. 1922 बम 303; जॉन मिनास अपकार बनाम। लुई केयर्ड माल्कस ए. आई. आर. 1939 कैल 473 का उल्लेख किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति और ला पिंटाडा कम्पानिया

नेविगेशियन एस. ए. [1985] ए. सी. 104; रसेल बनाम। रसेल

[1880] 14 Ch D 471; चार्ल्स ओसेनटन एंड कंपनी v.

जॉनस्टन 1942 ए. सी. 130; चैथम और डोवर रेलवे

कंपनी वी। साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी [1893]

ए. सी. 429; ब्रिटिश रेलवे बोर्ड और हैरिंगटन 1972 ए. सी. 877; स्मिथ न्यू कोर्ट सिक्योरिटीज लिमिटेड बनाम। स्क्रिंजर

विकर्स (एसेट मैनेजमेंट) लिमिटेड [1996] 4 सभी ई. आर. 769;

डॉयल वी. ओल्बी (आयरनमोंगर्स) लिमिटेड. [1969] 2 ऑल ईआर 119

संदर्भित किया गया।

—

मामला कानून संदर्भ

[2014] 6 एससीआर 514

संदर्भित किया गया है

पै
रा 2

[2009] 15 एससीआर 371

पै
रा 2

संदर्भित किया गया है

[2014] 10 एससीआर 426

संदर्भित किया गया है

पै
रा 2

[2019] 12 एससीआर 460

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[2016] 11 एससीआर 521

उस पर भरोसा करें

पै

रा 3

[1962] 3 एससीआर 702

पै

रा 5

संदर्भित किया गया है

(2003) 6 एस. सी. सी. 503

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

[2010] 8 एससीआर 1053

पै

रा 7

उस पर भरोसा करें

[2011] 7 एससीआर 310

उस पर भरोसा करें

पै

रा 8

[1999] 3 एससीआर 861

उस पर भरोसा करें

पै

रा 8

[2000] 2 एससीआर 684

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

[2016] 7 एससीआर 102

पै

रा 10

उस पर भरोसा करें

[2018] 6 एससीआर 1001

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

[2002] 2 पूरक। एससीआर 350

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[1995] 3 पूरक। एससीआर 79

पै

रा 15

संदर्भित किया गया है

[1954] एससीआर 1144

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[2008] 3 एससीआर 900

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[2009] 3 एससीआर 1017

पै

रा 15

संदर्भित किया गया है

[2010] 10 एससीआर 16

उस पर भरोसा करें

पैरा 15 ए. वी. टी. एल. पोस्ट अध्ययन सीमित और ओ. आर. एस. वी. एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मॉरिटियस) लिमिटेड

(2013) 7 एस. सी. सी. 622

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

[1951] एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[1966] पूरक। एससीआर 92

पै

रा 19

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5145

2016 से।

बॉम्बे के 31.07.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 की अपील संख्या 196 में उच्च न्यायालय।

के साथ

सिविल अपील सं। 5158 और 2016 का 9820।

श्री. मुकुल रोहतगी, हरीश साल्वे, निखिल सखारदंडे, विनय

नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सौरभ कृपाल, संजय अग्रवाल, सुश्री दीक्षा राय, सुश्री मनाली सिंघल, निखिल रोहतगी, ईशान बिष्ट, सुश्री पलक महाजन, सुश्री लिज़ मैथ्यू, गौतम अवस्थी, श्रीमती मीना दोशी, श्रीमती प्रभा स्वामी, निखिल स्वामी, सुश्री दिव्या स्वामी, सुश्री आभा आर शर्मा, सुश्री जैस्मीन दामकेवाला, श्रीनिवास जोशी, सुश्री वर्षाली शर्मा, योगेश सी. नायडू, सुश्री प्रियंका शेट्टी, श्री संतोष सचिन, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. ये दो अपील 2016 की सिविल अपील संख्या 5145 द्वारा की गई हैं।

एविटेल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड ["एविटेल इंडिया"] और इसके प्रवर्तक ["जैन"]

परिवार], और एच. एस. बी. सी. पी. एल. होल्डिंग्स (मॉरीशस) लिमिटेड [एच. एस. बी. सी.] द्वारा 2016 की सिविल अपील संख्या 5158 होने के कारण, मध्यस्थता की धारा 9 के तहत अपील में पारित अंतर्वर्ती निर्णय और आदेश का विरोध करता है।

और सुलह अधिनियम, 1996 ["1996 अधिनियम"] दिनांक 31.07.2014। उक्त अपीलों का निपटारा करने के लिए, हम 2016 की सिविल अपील संख्या 5145 में तथ्यों का उल्लेख करते हैं। वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले विवाद को समझने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

(i) 21.04.2011 पर, एक शेयर सदस्यता समझौता ["एसएसए"] था

एच. एस. बी. सी. और अपीलार्थियों के बीच प्रवेश किया। एच. एस. बी. सी. ने अपनी चुकता पूंजी का 7.8 प्रतिशत हासिल करने के लिए एविटेल इंडिया की इक्विटी पूंजी में 6 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। इस एसएसए में एक मध्यस्थता खंड था जो इस प्रकार है:

" 16. विवाद समाधान

16.1 . मध्यस्थता

16.1. 1 . इस समझौते से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, विवाद या दावा, जिसमें इसके अस्तित्व, वैधता, व्याख्या, उल्लंघन या समाप्ति के बारे में कोई भी प्रश्न शामिल है,

इस समझौते ("नियम") की तारीख को लागू अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के अनुसार सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र ("एस. आई. ए. सी".) में बाध्यकारी मध्यस्थता द्वारा संदर्भित और अंत में हल किया जाएगा, जो नियम इस खंड में संदर्भ द्वारा शामिल किए गए माने जाते हैं और जैसा कि बाकी द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इस खंड से।

16.1. 2 . मध्यस्थता का केंद्र सिंगापुर होगा।

16.1. 3 . मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी।

एक "पक्ष") एक साथ एक (1) मध्यस्थ को नामित करेगा। यदि 30 के भीतर ऐसा करने के लिए दूसरे पक्ष के अनुरोध के दिनों में, एक पक्ष एक मध्यस्थ को नामित करने में विफल रहता है, या यदि दो (2) मध्यस्थ मध्यस्थ की पुष्टि के 30 दिनों के भीतर तीसरे मध्यस्थ को नामित करने में विफल रहते हैं।

दूसरे मध्यस्थ की नियुक्ति, नियुक्ति होगी एस. आई. ए. सी. परिषद द्वारा एक पक्ष के अनुरोध पर किया गया

नियमों के साथ।

16.1. 5 . यदि ऐसा करने के लिए दूसरे पक्ष के अनुरोध के 14 दिनों के भीतर, कोई पक्ष एक मध्यस्थ को नामित करने में विफल रहता है, या यदि दो (2) मध्यस्थ 14 दिनों के भीतर तीसरे मध्यस्थ को नामित करने में विफल रहते हैं। दूसरे मध्यस्थ की नियुक्ति की पुष्टि, नियुक्ति, एक पक्ष के अनुरोध पर, एस. आई. ए. सी. परिषद द्वारा नियमों के अनुसार की जाएगी।

16.1. 7 . इस खंड 16.1 में कुछ भी किसी भी पक्ष को सक्षम अधिकार क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में संरक्षणात्मक या अंतरिम राहत लेने से रोकने के रूप में नहीं माना जाएगा। 16.1. 8 . मध्यस्थता न्यायाधिकरण का कोई भी निर्णय लिखित रूप में दिया जाएगा और जिस दिन से यह किया गया है, उस दिन से पक्षकारों के लिए यह अंतिम और बाध्यकारी होगा और पक्षकार इसके लिए बाध्य होने और तदनुसार कार्य करने के लिए सहमत होंगे। पक्ष बिना किसी देरी के पुरस्कार देने का वचन देते हैं।

16.1. 9 . किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के दौरान

इस खंड 16.1 के अनुसार, यह समझौता मध्यस्थता के तहत मामले को छोड़कर सभी मामलों में पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेगा और पक्षकार विवाद के तहत मामले में शामिल दायित्वों को छोड़कर और इसके तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने दायित्वों का पालन करना जारी रखेंगे।

16.2 . लागतें

मध्यस्थता और मध्यस्थता न्यायाधिकरण की फीस सहित मध्यस्थता की लागत और खर्च, विवाद या दावे के लिए प्रत्येक पक्ष द्वारा समान रूप से वहन किए जाएंगे और प्रत्येक पक्ष अपने स्वयं के शुल्क, संवितरण और अपने वकील के अन्य शुल्कों का भुगतान करेगा, सिवाय इसके कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए। मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास किसी भी राशि पर ब्याज देने की शक्ति होगी।

मध्यस्थता कार्यवाही के अनुसार दी गई और ऐसी राशि पर ब्याज, यदि दी जाती है, तब तक लगेगा जब तक कि ऐसी राशि का वास्तविक भुगतान नहीं हो जाता।

16.3 . अंतिम और बाध्यकारी

दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय अंतिम होगा और विवाद के पक्षकारों में से प्रत्येक के लिए बाध्यकारी होगा।

0] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16.4 . मध्यस्थता अधिनियम का अनुप्रयोग

भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("मध्यस्थता अधिनियम") की धारा 9, भाग 1 को छोड़कर, मध्यस्थता अधिनियम के भाग 1 के प्रावधान इस समझौते की शर्तों पर लागू नहीं होंगे।

(ii) 06.05.2011 पर, उपरोक्त पक्षों ने एक शेयरधारकों के समझौते ["SHA"] में प्रवेश किया, जो SSA दिनांक 21.04.2011 में प्रवेश करने के बाद पक्षों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। एस. एच. ए. में एक मध्यस्थता खंड भी था जो एस. एस. ए. में निहित मध्यस्थता खंड के समान था। एच. एस. बी. सी. का मामला है कि अपीलकर्ता संख्या 2-4 (जैन परिवार) द्वारा एक अभ्यावेदन दिया गया था कि अपीलकर्ता बी. बी. सी. के फिल्म पुस्तकालय को 2 डी से 3 डी में बदलने के लिए ब्रिटिश प्रसारण निगम ["बी. बी. सी".] के साथ एक अनुबंध को अंतिम रूप देने के बहुत उन्नत चरण में थे। इस अनुबंध से पहले चरण में 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर और अंततः 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद थी। एच. एस. बी. सी. का यह और मामला है कि उपकरण खरीदने के लिए एविटेल इंडिया को 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इस निवेश की आवश्यकता थी।

एविटेल पोस्ट स्टूडियोज एफजेड एलएलसी ["एविटेल दुबई"] के लिए बीबीसी अनुबंध की सेवा करने के लिए (एविटेल दुबई एविटेल होल्डिंग्स लिमिटेड, मॉरीशस ["एविटेल मॉरीशस"] की एक 100% सहायक कंपनी है, जो बदले में, एविटेल इंडिया की 100% सहायक कंपनी है। एविटेल इंडिया, एविटेल मॉरीशस और एविटेल दुबई को सामूहिक रूप से "एविटेल समूह" के रूप में जाना जाता है।

(iii) अप्रैल 2012 की शुरुआत में, एचएसबीसी को एविटेल समूह के फिल्मों के डिजिटलीकरण के व्यवसाय और अर्न्स्ट एंड यंग और केपीएमजी दुबई के बारे में संदेह हुआ।

एविटेल समूह की व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में पूछताछ करने और निष्कर्षों को वापस करने के लिए नियुक्त किए गए थे। अर्न्स्ट एंड यंग और के. पी. एम. जी. दुबई के कुछ प्रारंभिक निष्कर्षों की बदौलत एच. एस. बी. सी. ने यह पाया कि कथित बी. बी. सी. अनुबंध अस्तित्व में नहीं था और अपीलकर्ताओं द्वारा एच. एस. बी. सी. को अपीलकर्ता संख्या 1 के शेयरों में 60 मिलियन अमरीकी डॉलर का उपरोक्त धन निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए स्थापित किया गया था। एच. एस. बी. सी. का यह भी मामला है कि हालांकि एविटेल दुबई को पूरा मामला मिला था। 10.05.2011 पर या उसके आसपास 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आय, ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 51 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उपयोग किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए नहीं किया गया था।

बी. बी. सी. अनुबंध की सेवा के लिए उपकरण, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया गया था जिनमें जैन परिवार की हिस्सेदारी थी। (iv) जैसे ही पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए, 11.05.2012 पर, एचएसबीसी द्वारा सिंगापुर इंटरनेशनल को मध्यस्थता के नोटिस जारी किए गए।

मध्यस्थता केंद्र ["एस. आई. ए. सी".] मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करेगा। 14.05.2012 पर, एस. आई. ए. सी. ने श्री थियो शेन यी, एस. सी. को एक आपातकालीन ए. वी. आई. टी. ई. एल. पोस्ट स्टूडियो लिमिटेड और ओ. आर. एस. के रूप में नियुक्त किया।

11.05.2012 दिनांकित आवेदन के अनुसार मध्यस्थ। 17.05.2012 पर, आपातकालीन मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अपीलकर्ताओं की चुनौती पर एस. आई. ए. सी. द्वारा विचार किया गया और खारिज कर दिया गया। 25.05.2012 पर, अपीलकर्ताओं ने मध्यस्थता के नोटिसों पर अपना जवाब दाखिल किया।

(v) आपातकालीन मध्यस्थ ने तब एच. एस. बी. सी. के पक्ष में क्रमशः एस. एस. ए. और एस. एच. ए. में दो अंतरिम पुरस्कार पारित किए, जिसमें अपीलकर्ताओं और एविटेल दुबई को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की अपनी संपत्ति के मूल्य का निपटान करने या उससे निपटने या कम करने से बचने का निर्देश दिया गया, और एच. एस. बी. सी. को भारत और यू. ए. ई. में वित्तीय संस्थानों को अंतरिम पुरस्कारों की एक प्रति देने की अनुमति दी गई, जिसके साथ कोई भी अपीलकर्ता खातों को रखता है या रख सकता है या हस्ताक्षर कर सकता है, इस अनुरोध के साथ कि वित्तीय संस्थान अंतरिम पुरस्कारों के अनुरूप ऐसे खातों को फ्रीज कर दें। 27.07.2012 पर, आपातकालीन मध्यस्थ ने क्रमशः एसएसए और एसएचए में पारित 28.05.2012 और 29.05.2012 के अंतरिम पुरस्कारों में एक संशोधन किया, जिसमें एचएसबीसी को और राहत दी गई, अन्य बातों के साथ-साथ, अपीलकर्ताओं और एविटेल दुबई को अर्न्स्ट एंड यंग और केपीएमजी दुबई को एविटेल दुबई और एविटेल मॉरीशस के वित्तीय मामलों की जांच करने से रोकने या रोकने का निर्देश दिया गया।

(vi) 30.07.2012 पर, एच. एस. बी. सी. ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में 1996 के अधिनियम की धारा 9 के तहत 2012 की मध्यस्थता याचिका संख्या 1062 दायर की।

(vii) 03.08.2012 पर, बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ धारा 9 याचिका के तहत एक अंतरिम आदेश पारित किया। निगम बैंक को अपीलार्थियों को पैसे निकालने की अनुमति देने का निर्देश देना

आई. डी. 1 पर या उससे पहले उनके खाते से आई. एन. आर. 1 करोड़ की राशि, लेकिन अगले आदेश तक किसी भी निकासी की अनुमति नहीं देने के लिए, उस समय तक, खाते को फ्रीज रहना था।

(viii) इस बीच, अपीलकर्ताओं ने तीन सदस्यीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी, जिसमें श्री क्रिस्टोफर लाउ, सुप्रीम कोर्ट शामिल थे।

इसके अध्यक्ष के रूप में, और डॉ. माइकल सी. प्रिल्स एंड जस्टिस (सेवानिवृत्त) एस. आई. ए. सी. के तत्वावधान में स्थापित सह-मध्यस्थों ["मध्यस्थ न्यायाधिकरण"] के रूप में फर्डिनो आई. रेबेलो। 25.09.2012 पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने निर्णय लिया कि यह एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जाएगा। 17.12.2012 पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एक सर्वसम्मत "अधिकार क्षेत्र पर अंतिम आंशिक निर्णय" पारित किया,

अधिकार क्षेत्र की चुनौती को खारिज करते हुए, और यह कहते हुए कि सिंगापुर [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिंगापुर में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए सर्वसम्मत "अधिकार क्षेत्र पर अंतिम आंशिक निर्णय", जिसमें मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए बरकरार रखा गया था, को सिंगापुर में चुनौती नहीं दी गई थी अपीलकर्ताओं ने और आगे कहा कि यह मामला होने के कारण, चूंकि एच. एस. बी. सी. के पास अंतिम मध्यस्थता कार्यवाही में सफलता की अच्छी संभावना है, इसलिए खाते में कमी जमा करने का उपरोक्त आदेश पारित किया गया ताकि 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की शेष राशि बनाए रखी जा सके।

(x) विद्वत एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील का निपटारा खंड पीठ के विवादित फैसले और आदेश द्वारा किया गया था।

दिनांक 31.07.2014, एक प्रथम दृष्टया निष्कर्ष लौटाते हुए कि चूंकि सिंगापुर का कानून मध्यस्थता समझौते को नियंत्रित करता है, इस संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि सिंगापुर में आपातकालीन पुरस्कार पारित किए जाने के बावजूद वर्तमान कार्यवाही दायर करने में कोई रोक नहीं है क्योंकि धारा 9 याचिका को मध्यस्थता समझौते के एक सादे पठन पर बनाए रखा जा सकता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 ["अनुबंध अधिनियम"] की धारा 17 और 18 के संदर्भ में धोखाधड़ी का मुद्दा स्वतंत्र सहमति के अभाव को संदर्भित करता है, और यह एक सर्वमान्य आधार था जो अनुबंध को दूषित कर देगा, जिससे यह अमान्य हो जाएगा। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, यह अभिनिर्धारित किया गया कि विवादों की "उपयुक्तता" और "मध्यस्थता" के बीच अंतर था, और वर्तमान मामले के तथ्यों पर, यह नहीं कहा जा सकता था कि एच. एस. बी. सी. द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोप के कारण विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं था। सिंगापुर में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष एच. एस. बी. सी. के दावे के बयान का उल्लेख करने के बाद, यह माना गया कि धोखाधड़ी और गलत निरूपण के आरोप मुख्य रूप से थे

अनुबंध अधिनियम की धारा 17 और 18 में परिभाषित "धोखाधड़ी" और "गलत निरूपण" के संदर्भ में, इस प्रकार पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवादों की एक नागरिक रूपरेखा स्थापित की गई।

हालाँकि, ए. वी. टी. ई. एल. पोस्ट स्टडीज़ लिमिटेड और ओ. आर. एस. का उल्लेख करने के बाद। वी. एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मौरिसियस) लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा पर कुछ निर्णयों के लिए, उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि एच. एस. बी. सी. ने अर्न्स्ट एंड यंग और क्लिफोर्ड चांस जैसी प्रमुख एजेंसियों को शामिल करके उचित परिश्रम किया था। इसके अलावा, यह भी माना गया कि जो नुकसान अंततः दिया जा सकता है वह एचएसबीसी द्वारा अंततः किए गए नुकसान की राशि नहीं हो सकती है, लेकिन एचएसबीसी द्वारा एविटेल इंडिया के शेयरों के अधिग्रहण में भुगतान की गई कीमत और एचएसबीसी द्वारा बाजार में उक्त शेयरों को फिर से बेचे जाने पर प्राप्त कीमत के बीच का अंतर हो सकता है। यह मामला होने के कारण, और न्यायसंगत राहत की प्रकृति में एक अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा होने के कारण, खंड पीठ की राय थी कि न्याय के हित को पूरा किया जाएगा यदि अपीलकर्ताओं को अपने निगम बैंक खाते में 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर अतिरिक्त राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि उक्त खाते में कुल जमा राशि 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के उक्त आंकड़े के आधे पर रखी जा सके, यानी 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर। इसलिए 22.01.2014 दिनांकित आदेश के खिलाफ अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी।

(xi) एसएसए दिनांक 27.09.2014 ["विदेशी अंतिम पुरस्कार"] में एक अंतिम पुरस्कार द्वारा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 21. औपचारिक अंतिम पुरस्कार

21.1 न्यायाधिकरण ने मौखिक और मौखिक पर सावधानीपूर्वक विचार किया है

दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ पार्टियों की प्रस्तुतियाँ और उन्हें उचित महत्व दिया गया है और इसके विपरीत सभी प्रस्तुतियों को अस्वीकार करते हुए इस अंतिम पुरस्कार को जारी और प्रकाशित किया जाता है और

ऊपर बताए गए कारणों के लिए खोज, पुरस्कार, आदेश और

निम्नलिखित रूप में घोषणाएँः

21.2 पता चलता है कि उत्तरदाताओं ने संयुक्त रूप से और अलग-अलग प्रतिनिधित्व किया

दावेदार के लिए निम्नलिखितः

ए। एविटेल समूह की स्वामित्व स्टीरियोस्कोपी तकनीक थी

अपने प्रतिद्वंद्वी से बेहतर;

बी। एविटेल दुबई ने एविटेल समूह के व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सी। एविटेल समूह बी. बी. सी. के साथ अग्रिम बातचीत कर रहा था।

और कि बी. बी. सी. अनुबंध निष्पादन के करीब था;

डी। दावेदार के निवेश की आवश्यकता थी और इसका उपयोग उपकरण खरीदने के लिए किया जाना था ताकि एविटेल दुबई को सक्षम किया जा सके

बीबीसी अनुबंध की सेवा; [2020] 10 एस. सी. आर.

ई. एविटेल समूह को लगभग 658 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल मूल्य के साथ किंडेन, एस. पी. ए. सी. और पर्पल पैशन के साथ सामग्री अनुबंधों का लाभ मिला।

एफ. एविटेल ग्रुप के प्रमुख ग्राहक किंडेन, एस. पी. ए. सी. और पर्पल पैशन के साथ-साथ एविटेल दुबई के प्रमुख आपूर्तिकर्ता, डिजिटल फ्यूजन और प्रमुख सेवा प्रदाता, हिगेंड, सभी स्वतंत्र थे और वैध कंपनियाँ;

जी। खंड 6.1 में निहित अभ्यावेदन और वारंटी

और एस. एस. ए. के 6.2 और एस. एस. ए. की अनुसूची 3 के खंड 7.1,7.3,7.5,8,10 और 11 में सही, पूर्ण, सटीक और सही नहीं होना चाहिए। गुमराह करना;

21.3 यह पता चलता है कि उत्तरदाताओं ने दावेदार को प्रथम उत्तरदाता में निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए अभ्यावेदन और/या वारंटी दी थी;

21.4 पता चलता है कि दावेदार अभ्यावेदन और/पर निर्भर था

या प्रथम उत्तरदाता में अपना निवेश करने की वारंटी;

उपरोक्त अनुच्छेद 21.2 (ए) से (जी) में गलत और/या भ्रामक थे; 21.6 यह पता चलता है कि उत्तरदाताओं ने उपरोक्त अनुच्छेद 21.2 (ए) से (जी) में निर्दिष्ट अभ्यावेदन और/या वारंटी दी हैं।

21.7 यह पता चलता है कि प्रत्यर्थी छल के लिए यातना में दावेदार के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी हैं; 21.8 यह पता चलता है कि प्रत्यर्थी अनुबंध अधिनियम के तहत धोखाधड़ीपूर्ण गलत निरूपण के लिए दावेदार के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी हैं;

21.9 यह पता चलता है कि उत्तरदाता वारंटी के उल्लंघन के लिए दावेदार के प्रति संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी हैं, 21.10 यह पता चलता है कि दूसरे, तीसरे और चौथे उत्तरदाताओं को दावेदार को 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि में अपने निवेश के नुकसान के साथ-साथ इस मध्यस्थता और संबंधित अदालती कार्रवाइयों की लागत के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से क्षतिपूर्ति करनी है;

21.11 यह पता चलता है कि दावेदार धोखाधड़ी से गलत तरीके से प्रस्तुत करने के अपने दावे और धोखाधड़ी के लिए अपकृत्य में अपने दावे के संबंध में हकदार है

60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल राशि में नुकसान; एविटेल पोस्ट स्टडीज लिमिटेड और ओआरएस।

21.13 यह पता चलता है कि दावेदार इसके कानूनी और अन्य अधिकारों का हकदार है एस. जी. डी. 827,615.67 की कुल राशि में खर्च के साथ-साथ मध्यस्थता की लागत जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) आपातकाल के संबंध में एसजीडी 29,235.88 की राशि

मध्यस्थ शुल्क और व्यय (ख) न्यायाधिकरण के संबंध में एस. जी. डी. 756,513.19 की राशि

शुल्क और व्यय; (ग) एस. आई. ए. सी. के संबंध में एस. जी. डी. 41,866.60 की राशि

प्रशासनिक शुल्क और व्यय;

21.15 दावेदार को पुरस्कार और उत्तरदाताओं को आदेश 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि में हर्जाना का भुगतान करें, जिसके संबंध में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ उत्तरदाताओं को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया जाता है।

और अलग से उत्तरदायी;

21.16 दावेदार को पुरस्कार और उत्तरदाताओं को 6 मई 2011 से इस अंतिम पुरस्कार की तारीख तक 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि पर प्रति वर्ष 4.25% की दर से ब्याज का भुगतान करने का आदेश देता है, जिसके संबंध में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ उत्तरदाताओं को पुरस्कार दिया जाता है।

संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी हैं;

21.17 अंतरिम पुरस्कार में दिए गए आदेशों के संदर्भ में आदेश (15 जून 2012 के अंतरिम पुरस्कार में परिशिष्ट और संशोधन और अंतरिम पुरस्कार में संशोधन द्वारा संशोधित) दिनांक 27 जुलाई 2012), कौन से आदेश उस तारीख तक और उस तारीख तक लागू रहेंगे जिस दिन उत्तरदाता इस अंतिम पुरस्कार में अन्य सभी आदेशों का पालन करेंगे;

21.18 दावेदार को पुरस्कार और उत्तरदाताओं को दावेदार की कानूनी और अन्य लागतों का भुगतान करने का आदेश देता है, जिसकी राशि 1,652 अमेरिकी डॉलर है, जिसके संबंध में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ उत्तरदाता संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी हैं; [2020] 10 एस. सी. आर.

21.19 दावेदार को पुरस्कार और उत्तरदाताओं को आदेश

एस. जी. डी. की कुल राशि में इस मध्यस्थता की सभी लागत

भुगतान करें

827, 615.67 इस प्रकार हैः

(क) आपातकाल के संबंध में एसजीडी 29,235.88 की राशि

मध्यस्थ की फीस और खर्च;

(ख) न्यायाधिकरण के संबंध में एस. जी. डी. 756,513.19 की राशि

शुल्क और व्यय;
(ग) एस. आई. ए. सी. प्रशासनिक शुल्क और खर्चों के संबंध में एस. जी. डी. 41,868.60 की राशि;

21.20 दूसरे, तीसरे और चौथे उत्तरदाताओं को संयुक्त रूप से घोषित करता है

और दावेदार को 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि में अपने निवेश के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए अलग-अलग उत्तरदायी है, साथ ही उस अवधि के लिए उस पर ब्याज और इसके ऊपर अनुच्छेद 21.16 में निर्दिष्ट दर पर और दावेदार की कानूनी लागत, संबंधित खर्चों के रूप में

साथ ही इस मध्यस्थता की लागत जैसा कि ऊपर अनुच्छेद 21.19 में निर्दिष्ट है;

21.21 घोषणा और आदेश जो उत्तरदाताओं के भुगतान पर

ऊपर पैराग्राफ 21.15,21.16,21.18,21.19 में दावेदार को दी गई राशि और दावेदार के वरीयता सदस्यता शेयरों और इक्विटी सदस्यता शेयरों के रद्द होने से उत्पन्न और आकस्मिक सभी लागतों को पूरा और बिना शर्त।

(जैसा कि एस. एस. ए. में परिभाषित किया गया है) एविटेल इंडिया में कहा गया है कि उक्त शेयरों को रद्द कर दिया जाए और इस संबंध में, पार्टियां प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उक्त रद्द करने के लिए आवश्यक कदम उठाती हैं।

इस तरह का भुगतान "।

प्रारंभ में, इस विदेशी अंतिम पुरस्कार को अपीलकर्ताओं द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय में धारा 34 की कार्यवाही में चुनौती दी गई थी। एक निर्णय द्वारा

दिनांक 28.09.2015, धारा 34 याचिका को विचारणीय नहीं होने के रूप में खारिज कर दिया गया था। 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत एक अपील 05.05.2017 पर खारिज कर दी गई थी। इस बीच, एचएसबीसी ने एसएसए दिनांकित 27.09.2014 में विदेशी अंतिम पुरस्कार को लागू करने के

लिए 15.04.2015 पर बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसे लागू करने की कार्यवाही अभी भी लंबित है।

2. अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी और विद्वान वकील श्री सौरभ कृपाल ने हमें एकल न्यायाधीश के आदेश और खंड पीठ के फैसले के बारे में बताया, और इसके बाद मध्यस्थ एविटेल पोस्ट स्टडीज लिमिटेड एंड ओआरएस में धोखाधड़ी के आरोपों पर भारतीय कानून का उल्लेख किया गया।

कार्यवाही, जो उनके अनुसार, यह दर्शाती है कि यदि लेन-देन

संभव नहीं है। इसी चश्मे से 1996 के अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनाया जाना था। इसलिए उन्होंने एकल न्यायाधीश के आदेश और खंड पीठ के फैसले दोनों पर हमला करते हुए कहा कि इस तरह के विदेशी पुरस्कारों को लागू करने के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला संभवतः मध्यस्थता में धोखाधड़ी के आरोप पर सिंगापुर के कानून का उल्लेख नहीं कर सकता है। कार्यवाही, लेकिन केवल भारतीय कानून को संदर्भित कर सकते हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एक एकल पर भरोसा किया था

इस न्यायालय के न्यायाधीश के फैसले को स्विस टाइमिंग लिमिटेड बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2010 आयोजन समिति, (2014) 6

एस. सी. सी. 677 ["स्विस टाइमिंग"] जिसने एन. राधाकृष्णन बनाम में निर्णय दिया था। मेस्ट्रो इंजीनियर्स, (2010) 1 एस. सी. सी. 72 ["एन. राधाकृष्णन"] प्रति इनक्यूरियम, पूरे डिवीजन बेंच के फैसले को दूषित करते हुए। यह स्पष्ट है क्योंकि 1996 के अधिनियम की धारा 11 के तहत इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले का कोई पूर्ववर्ती मूल्य नहीं है जैसा कि पश्चिम बंगाल राज्य v में सही ढंग से माना गया है। एसोसिएटेड ठेकेदार, (2015) 1 एस. सी. सी. 32 ["एसोसिएटेड ठेकेदार"]। श्री रोहतगी ने यह भी संकेत दिया कि सिंगापुर की कार्यवाही में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अध्यक्ष श्री क्रिस्टोफर लाउ, एससी पक्षपाती थे, जिसमें एचएसबीसी उस फर्म का ग्राहक था जिससे वे संबंधित थे, और यह धारा 48 की कार्यवाही में उठाए गए महत्वपूर्ण आधारों में से एक है जो बॉम्बे हाई [2020] 10 एस. सी. आर. में लंबित है।

अदालत। उन्होंने (हमारे समक्ष पहली बार) यह तर्क देने की भी मांग की कि निर्णय पर अपर्याप्त रूप से मुहर लगाए जाने पर गौर नहीं किया जा सकता है और इससे यह भी पता चलेगा कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित अंतरिम अनिवार्य आदेशों को बनाए रखने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। यह भी जोड़ा गया कि अगस्त 2014 के 'मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन' पर भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 246 ["246 वीं विधि आयोग रिपोर्ट"] ने सिफारिश की थी कि एक धारा 16 (7) जोड़ी जाए ताकि एन. राधाकृष्णन (उपर्युक्त) के अनुपात को समाप्त किया जा सके। हालाँकि, जब संसद ने मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 ["2015 संशोधन अधिनियम"] पारित किया, तो इस तरह की धारा को शामिल नहीं करना उचित समझा, जो दर्शाता है कि एन. राधाकृष्णन (ऊपर) इस क्षेत्र में हैं और इसलिए, वर्तमान मध्यस्थता कार्यवाही की तरह, धोखाधड़ी के गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं, जो इस तरह के विवाद को अविवेकी बना देंगे। इस प्रस्ताव के लिए, वे भारत के राष्ट्रपति और ला पिंटाडा कम्पानिया नेविगेशियन एस. ए., [1985] ए. सी. 104 ["ला पिंटाडा"] में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले पर बहुत अधिक निर्भर थे।

3. प्रत्यर्थी, एच. एस. बी. सी. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश साल्वे ने इन सभी दलीलों का जवाब देते हुए भरोसा जताया।

राशिद रज़ा बनाम में हाल के फैसले सहित इस न्यायालय के कई फैसलों पर। सदफ अख्तर, (2019) 8 एस. सी. सी. 710 [राशिद रजा]। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, इस निर्णय ने ए. अय्यासामी बनाम में निर्णय को बहुत स्पष्टता के साथ समझाया है। ए. परमशिवम, (2016) 10 एस. सी. सी. 386 ["अय्यासामी"], जिसने बदले में एन. राधाकृष्णन (ऊपर) को केवल धोखाधड़ी के ऐसे गंभीर आरोपों का उल्लेख करते हुए समझाया था जो समझौते के साथ मध्यस्थता खंड को दूषित कर देंगे। और धोखाधड़ी के आरोप जो न केवल अंतर-पक्ष हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में अभिवचनों को पढ़ने से पता चलेगा कि इन दोनों परीक्षणों में से कोई भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने विदेशी अंतिम पुरस्कार दिनांक 1 से भी प्रचुर मात्रा में पढ़ा, जो न केवल प्रतिरूपण पर पाया गया, जो एक छोटा पैर था जिस पर वह खड़ा था, बल्कि एचएसबीसी द्वारा भुगतान किए गए 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक बड़े हिस्से को जैन परिवार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनियों में स्थानांतरित करने पर भी पाया गया। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे मुख्य रूप से नागरिक कानून के मुद्दे हैं जिन्हें पक्षों के बीच तय किया जाना है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जहां तक श्री क्रिस्टोफर लॉ एस. सी. के कथित पूर्वाग्रह का संबंध है, यह ऐसे आरोपों में जाने का समय या स्थान नहीं है, जो केवल धारा 48 की कार्यवाही में पूरी तरह से पूरा किया जाएगा जो लंबित है। उन्होंने संकेत दिया कि किसी भी मामले में, यह विदेशी अंतिम पुरस्कार सर्वसम्मत था और इसमें दो अन्य शामिल थे

मध्यस्थ, डॉ. माइकल सी. प्रिल्स और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) फर्डिनो आई. रेबेलो, एविटेल पोस्ट स्टडीज लिमिटेड और ओआरएस।

वी. एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मौरिसियस) लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उन्होंने हमसे यह भी कहा कि हम विदेशी अंतिम पुरस्कार के निर्णायक पहलू में न जाएं क्योंकि इसे पहली बार बिना किसी उचित अभिवचन के यहां उठाया गया था।

निवेदन किया, तब उनके मुवक्किल को यह दिखाने के लिए इसका खंडन करने का अवसर मिला होगा कि भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की कोई अपर्याप्तता नहीं थी। श्री साल्वे ने इसलिए बंबई उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के अंतिम आदेश का समर्थन किया और कहा कि खंड पीठ को नाम के लायक किसी भी तर्क के बिना 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को घटाकर आधा, यानी 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर नहीं करना चाहिए था, विशेष रूप से क्योंकि विदेशी अंतिम पुरस्कार में कहा गया था कि 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान इसके माध्यम से किया जाना था।

ब्याज और लागत के साथ नुकसान, एच. एस. बी. सी. के नाम के शेयरों की स्थिति

रद्द कर दिया गया। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि उपरोक्त शेयर रद्द कर दिए गए हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एच. एस. बी. सी. द्वारा रखी गई एविटेल इंडिया की चुकता शेयर पूंजी का 7.8 प्रतिशत एविटेल इंडिया को वापस कर दिया जाता है। इस मामले में, उल्लंघन की तारीख को शेयरों के बाजार मूल्य और 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच के अंतर का कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि शेयर वापस एविटेल इंडिया के हाथों में हैं।

4. दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद, धारा 9 की कार्यवाही में एकमात्र वास्तविक प्रश्न जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि एच. एस. बी. सी. को धारा 48 के तहत प्रवर्तन कार्यवाही में किस हद तक एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला कहा जा सकता है जो बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। यदि ऐसा है, तो क्या एच. एस. बी. सी. के लिए अपूरणीय पूर्वाग्रह पैदा होगा यदि उसके पक्ष में सुरक्षात्मक आदेश जारी नहीं किए गए थे, और आम तौर पर, क्या सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में झुकता है और किस हद तक।

5. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह कहना सही है कि यह प्रथम दृष्टया मामला अनिवार्य रूप से इस बात पर निर्भर करेगा कि मध्यस्थता समझौते के किसी एक पक्ष द्वारा धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाने पर मध्यस्थता के लिए भारत में मूल कानून क्या है। इस बिंदु पर कानून की उत्पत्ति मध्यस्थता अधिनियम, 1940 ["1940 अधिनियम"] के तहत एक निर्णय में हुई है, जो 1996 के अधिनियम का पूर्ववर्ती था, जिसने 1940 के अधिनियम को निरस्त कर दिया था। इस प्रकार, अब्दुल कादिर शम्सुद्दीन बुबरे बनाम। माधव प्रभाकर ओक, [1962] 3 एस. सी. आर. 702 ["अब्दुल कादिर"], विवाद पक्षों के बीच एक समझौते से उत्पन्न हुए, जिसमें एक मध्यस्थता खंड था। नतीजतन, उत्तरदाताओं

नहीं। 1 और 2 ने 1940 के अधिनियम की धारा 20 के तहत एक आवेदन दायर किया, जैसा कि तब था। इस आवेदन का अपीलार्थी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चार आधारों पर विरोध किया था। चौथा आधार हमारे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इस प्रकार है:

(4) प्रतिवादियों ने धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे

अपीलार्थी ने अपने आवेदन में और वह भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं करने का एक आधार था।

(पी पर। 707)

इस आधार से निपटने में, न्यायालय ने पहले धारा का उल्लेख किया

20 (4) 1940 के अधिनियम में कहा गया है कि "जहां कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है, वहां न्यायालय समझौते को दायर करने का आदेश देगा, और पक्षकारों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को, चाहे समझौते में हो या अन्यथा या जहां पक्षकार मध्यस्थ पर सहमत नहीं हो सकते हैं, न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को संदर्भित करने का आदेश देगा।" इस न्यायालय ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि इस उप-धारा के शब्द न्यायालय के पास इस बात पर विचार करने के लिए एक व्यापक विवेकाधिकार छोड़ते हैं कि क्या कोई समझौता दायर करने का आदेश दिया जाना चाहिए और उस पर संदर्भ भी दिया जाना चाहिए।

विभिन्न अंग्रेजी निर्णयों का उल्लेख किया गया था। रसेल बनाम। रसेल, [1880] 14 अध्याय डी 471 को इस प्रस्ताव के लिए संदर्भित किया गया था कि न्यायालय, सामान्य रूप से, मध्यस्थता के लिए एक विवाद भेजने से इनकार कर देगा यदि धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाला पक्ष सार्वजनिक जांच चाहता है, लेकिन जहां मध्यस्थता के लिए आपत्ति धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले पक्ष द्वारा है, तो न्यायालय आवश्यक रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगा, और ऐसा तब तक कभी नहीं करेगा जब तक कि धोखाधड़ी का एक प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं हो जाता है। 713] . अगला अंग्रेजी निर्णय चार्ल्स ओसेनटन एंड कंपनी बनाम है। जॉनस्टन, 1942 ए. सी. 130. इस मामले में कहा गया कि चूंकि किसी विशेष फर्म की पेशेवर प्रतिष्ठा शामिल थी, इसलिए मामले को इस कारण से मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए कि एक जूरी के साथ उच्च न्यायालय के सामान्य न्यायाधिकरण, जिससे अपील करने का अधिकार है, को न्यायिक अधिनियम, 1925 की धारा 89 के तहत एक आधिकारिक रेफरी के समक्ष कार्यवाही द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। इन मामलों को संदर्भित करने के बाद, इस न्यायालय ने आगाह कियाः

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं

इच्छा है कि मामले की सुनवाई खुली अदालत में की जानी चाहिए, वह होगा न्यायालय द्वारा मध्यस्थता का आदेश न देने के लिए एक पर्याप्त कारण

दाखिल करने और संदर्भ नहीं देने के लिए समझौता। लेकिन ऐसा नहीं है

प्रत्येक आरोप जो किसी प्रकार की बेईमानी का आरोप लगाता है, विशेष रूप से

लेखाओं के मामले, जो अदालत को निपटाने के लिए पर्याप्त होंगे

चुना है। हमारे लिए यह निर्णय से भी स्पष्ट है। रसेल मामले में [1880 14 Ch D 471]। उस मामले में

एविटेल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड एंड ओआरएस के खिलाफ एक भाई द्वारा रचनात्मक और वास्तविक धोखाधड़ी के आरोप।

दूसरा और यह उन परिस्थितियों में था जो अदालत ने बनाया था

जिन टिप्पणियों का हमने ऊपर उल्लेख किया है। फिर भी,

मास्टर ऑफ द रोल्स के विद्वान ने भी इस दौरान देखा

पी पर निर्णय। 476 इस प्रकार हैः

" यह अनिवार्य रूप से इसके दायरे से बाहर क्यों होना चाहिए? लेखा के मध्यस्थ के प्रश्नों को संदर्भित करने के लिए अनुबंध, यहां तक कि

जब उन प्रश्नों में कदाचार की राशि भी शामिल होती है

किसी साथी की ओर से बेईमानी? मैं इसे नहीं देखता। मैं करता हूँ।

यह नहीं कहना कि कई मामलों में मैं दूसरे में जाऊंगा न्यायालय के समक्ष मामले की शाखा, न्यायालय में नहीं हो सकता है

मुझे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि यह खंड नहीं था सभी प्रश्नों पर लागू करने का इरादा, यहां तक कि प्रश्नों को भी शामिल करना

एक या दूसरे पर नैतिक बेईमानी या नैतिक दुराचार का आरोप लगाना

दलों से "।

हमारा स्पष्ट मत है कि केवल कुछ आरोपों के कारण

ऐसा बनाया गया है कि खाते सही नहीं हैं या निश्चित हैं

आइटम अतिरंजित हैं और इतने पर कि प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है न्यायालय द्वारा मध्यस्थता का निर्देश देने से इनकार करना। यह केवल में है

गंभीर प्रकृति के धोखाधड़ी के आरोपों के मामले जो अदालत करेगी रसेल के मामले में निर्णय के अनुसार इनकार [1880 14 Ch D 471] आदेश देने के लिए

एक मध्यस्थता समझौता दायर किया जाना है और एक संदर्भ नहीं करेगा।

हम इस संबंध में मिनीफी v का उल्लेख कर सकते हैं। रेलवे

यात्री आश्वासन कंपनी [(1881) 44 एलटी 552]। वहाँ सवाल यह था कि क्या कुछ कार्यवाहियों पर रोक लगाई जानी चाहिए; और

यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस तथ्य के बावजूद कि मुद्दा और

इसके समर्थन में साक्ष्य एक निश्चित के आचरण पर सहन कर सकता है

व्यक्ति और उन लोगों में से जो उसमें उपस्थित थे और इसलिए इसमें शामिल हो सकते हैं

धोखाधड़ी या कोई धोखाधड़ी के समान सवाल, जो कोई आधार नहीं था रहने से इनकार करने के लिए। यह तभी होता है जब धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं।

जिसे बनाना वांछनीय है, उस पर खुली अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए कि

न्यायालय द्वारा मध्यस्थता का आदेश देने से इनकार करना उचित होगा।

दाखिल करने और संदर्भ देने से इनकार करने के लिए समझौता।

(पीपी में। 714-716)

इसके बाद अदालत ने अपने समक्ष मामले के तथ्यों की ओर रुख किया और कहा कि

खातों में प्रविष्टियों की शुद्धता या अन्यथा के बारे में आरोप

धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों में कहा गया है कि इस तरह के आरोप अक्सर [2020] 10 एस. सी. आर. होते हैं।

लेखाओं के लिए मुकदमों में किए गए, जो विशुद्ध रूप से दीवानी कार्यवाही हैं। यह जोड़ा गया थाः

" यही कारण है कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि प्रमुख मामले में भी

रसेल के [1880 14 Ch D 471], मास्टर ऑफ द रोल्स

यह इंगित करने के लिए दर्द था कि यह आवश्यक रूप से एक में नहीं कहा जा सकता था

लेखाओं का मामला कि मध्यस्थता का कोई संदर्भ नहीं दिया जाना चाहिए, भले ही खातों से संबंधित प्रश्न जिनमें शामिल हो सकते हैं

दुराचार कुछ लोगों की ओर से बेईमानी के बराबर है

मध्यस्थता कार्यवाही और यहां तक कि मामलों में भी भागीदार उत्पन्न हो सकता है।

पक्षकार या अन्य को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है। हमें ऐसा लगता है कि हर आरोप नैतिक बेईमानी का संकेत या संकेत देता है

या लेखा रखने के मामले में नैतिक कदाचार नहीं होगा

धोखाधड़ी के ऐसे गंभीर आरोप के लिए राशि जो एक अदालत को प्रेरित करेगी

मध्यस्थता समझौता दायर करने का आदेश देने से इनकार करना और इनकार करना

अदालत का कहना है कि संदर्भित नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण है मध्यस्थता के लिए विवाद। अपीलार्थी का यह तर्क भी आवश्यक है।

इसलिए असफल "।

(पी

पी में। 717-718)

6. एन. राधाकृष्णन (ऊपर) में, के बीच अंतर

प्रत्यर्थियों द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे में एक फर्म के भागीदारों पर निर्णय लेने की मांग की गई थी। अपीलार्थी ने धारा 8 के तहत एक आवेदन दायर किया 1996 अधिनियम में कहा गया है कि चूंकि भागीदारों के बीच एक मध्यस्थता खंड था, इसलिए मामले को अब मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए। इस न्यायालय ने अब्दुल कादिर (उपरोक्त) मामले में निर्णय पर विचार करने के बाद उक्त निर्णय से एक वाक्य निकाला। 714 इस प्रकार हैः

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं

इच्छा है कि मामले की सुनवाई खुली अदालत में की जानी चाहिए, वह होगा न्यायालय द्वारा मध्यस्थता का आदेश न देने के लिए एक पर्याप्त कारण

दाखिल करने और संदर्भ नहीं देने के लिए समझौता "।

यह वाक्य, विद्वान खंड पीठ के अनुसार,

अब्दुल कादिर (ऊपर) में अनुपात का अनिवार्य रूप से यह अर्थ होगा कि जहां भी किसी ऐसे मामले में धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं जिसमें मध्यस्थता समझौता होता है, उन पर अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

वास्तव में AVITEL POST STUDIOZ LIMITED & O आरएस। वी. एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मौरिसियस) लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

न्यायालय के समक्ष स्थिति, न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे और आरोप लगाया था कि वे लेखा पुस्तकों में कदाचार कर रहे थे और साझेदारी फर्म के वित्त में हेरफेर किया था। यह, इस न्यायालय की विद्वत खंड पीठ के अनुसार, धारा 8 के आवेदन को खारिज करने के लिए पर्याप्त था। हम इस तथ्य का भी उल्लेख कर सकते हैं कि अपीलार्थी के वकील ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम के फैसले पर भरोसा किया था। पिंकसिटी मिडवे पेट्रोलियम, (2003) 6 एस. सी. सी. 503 ["हिंदुस्तान पेट्रोलियम"], जिसमें यह कहा गया था कि एक दीवानी अदालत के लिए मध्यस्थता को संदर्भित करना अनिवार्य है-एक विवाद जो पक्षकारों के बीच उत्पन्न होता है।

1996 के अधिनियम की धारा 8 के तहत मध्यस्थता समझौता। हम इस स्तर पर केवल यह नोट कर सकते हैं कि इस निर्णय पर न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था। इसके विपरीत, 1940 के अधिनियम की धारा 20 (4) के तहत दिए गए एक निर्णय को न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संदर्भित किया गया था।

7. एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वर्की

कंस्ट्रक्शन कं. (पी) लिमिटेड, (2010) 8 एस. सी. सी. 24 ["एफकॉन्स"], इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 27. निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को आम तौर पर उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एडीआर प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता हैः

(i) आदेश 1 नियम 8 सी. पी. सी. के तहत प्रतिनिधि मुकदमे जिसमें सार्वजनिक हित या कई व्यक्तियों के हित शामिल हैं जो

अदालत के समक्ष पक्षकार नहीं हैं। (वास्तव में, इस तरह के मुकदमे में समझौता भी एक कठिन प्रक्रिया है जिसके लिए नोटिस की आवश्यकता होती है

सूट में रुचि रखने वाले व्यक्ति, इसकी स्वीकृति से पहले)।

((ii) सार्वजनिक पदों के चुनाव से संबंधित विवाद (इसके विपरीत)

समितियों, क्लबों, संघों आदि के प्रबंधन पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे दो समूहों के बीच विवादों से)।
(iii) जांच के बाद अदालत द्वारा अधिकार प्रदान करने वाले मामले, उदाहरण के लिए, प्रोबेट देने के लिए मुकदमे या

प्रशासन।

(iv) धोखाधड़ी, दस्तावेजों के निर्माण, जालसाजी, प्रतिरूपण, जबरदस्ती आदि के गंभीर और विशिष्ट आरोपों से जुड़े मामले।

(v) अदालतों की सुरक्षा की आवश्यकता वाले मामले, उदाहरण के लिए, नाबालिगों, देवताओं और मानसिक रूप से विकलांग लोगों के खिलाफ दावे और सरकार के खिलाफ अधिकार की घोषणा

के लिए मुकदमे।
(vi) आपराधिक अपराधों के लिए अभियोजन से जुड़े मामले। "

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह देखा जाएगा कि आइटम (iv) और (vi) हमारे बिंदु से प्रासंगिक हैं और बाद के निर्णयों के आलोक में समझाने की आवश्यकता है।

एस कोर्ट।

8. बूज़ ऐलन एंड हैमिल्टन इंक. बनाम।)) 5 एस. सी. सी. 532 ["बूज़ एलन"], इस न्यायालय ने फैसला किया कि कार्यवाही एन, जैसे कि सिविल के आदेश XXXIV के तहत दायर एक बंधक मुकदमा

ड्यूअर कोड, 1908 (जो आरईएम में एक कार्यवाही थी), नहीं होगा

सक्षम हैं। एक महत्वपूर्ण परिच्छेद में, इस न्यायालय ने कहाः

37. यह देखा जा सकता है कि ऊपर उल्लिखित मामले आर. ई. एम. में कार्रवाई से संबंधित हैं। आर. ई. एम. में अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो बड़े पैमाने पर दुनिया के खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि व्यक्तिगत रूप से अधिकार से विपरीत है जो केवल विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ संरक्षित एक हित है। व्यक्तिगत रूप से किए गए कार्य अधिकारों और हितों को निर्धारित करने वाले कार्यों को संदर्भित करते हैं। मामले के विषय-वस्तु में स्वयं पक्षकार, जबकि आर. ई. एम. में कार्रवाई संपत्ति के स्वामित्व और पक्षों के अधिकारों को निर्धारित करने वाली कार्रवाइयों को संदर्भित करती है, न केवल आपस में बल्कि किसी भी समय उसमें रुचि का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ भी।

संपत्ति। तदनुसार, व्यक्तिगत रूप से एक निर्णय किसी व्यक्ति के खिलाफ एक निर्णय को संदर्भित करता है जो किसी चीज़, अधिकार या स्थिति के खिलाफ निर्णय से अलग है और आरईएम में एक निर्णय एक निर्णय को संदर्भित करता है जो संपत्ति की स्थिति या स्थिति को निर्धारित करता है जो संचालित होता है।

सीधे संपत्ति पर ही। (ब्लैक लॉ डिक्शनरी के माध्यम से।)

38. आम तौर पर और पारंपरिक रूप से व्यक्तिगत रूप से अधिकारों से संबंधित सभी विवादों को मध्यस्थता के लिए उत्तरदायी माना जाता है; और

आर. ई. एम. में अधिकारों से संबंधित विवादों का निर्णय अदालतों और सार्वजनिक न्यायाधिकरणों द्वारा किया जाना आवश्यक है, क्योंकि वे निजी मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त हैं।

हालाँकि यह एक कठोर या कठोर नियम नहीं है। आर. ई. एम. में अधिकारों से उत्पन्न व्यक्ति में अधीनस्थ अधिकारों से संबंधित विवादों को हमेशा मध्यस्थ माना गया है।

39. अधिनियम विशेष रूप से विवादों की किसी भी श्रेणी को बाहर नहीं करता है

अदालत ने पाया कि "विवाद का विषय-मामला अभी कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटाने में सक्षम नहीं है। बल "।

इसके बाद न्यायालय ने हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड बनाम स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, (1999) 5 एस. सी. सी. 688, कि इसी तरह, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही को समाप्त करने के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है।

मध्यस्थता (पैराग्राफ 42 देखें)। इसके विपरीत, विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे इस तथ्य के बावजूद मध्यस्थ हैं कि न्यायालय को विशिष्ट निष्पादन का आदेश कब नहीं देना है, इस बारे में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर प्रयोग करने का विवेकाधिकार निहित है (पैराग्राफ 43 और 44 देखें)। अदालत ने तब निष्कर्ष निकालाः

" 46. बेचने के लिए एक समझौते या बंधक के लिए एक समझौते में आर. ई. एम. में अधिकार का कोई हस्तांतरण शामिल नहीं है, बल्कि केवल एक व्यक्तिगत हस्तांतरण होता है। दायित्व। इसलिए, यदि बेचने के समझौते या बंधक के समझौते के संबंध में विशिष्ट प्रदर्शन की मांग की जाती है, तो विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दावा मध्यस्थता योग्य होगा। दूसरी तरफ

हाथ में, एक बंधक आरईएम में एक अधिकार का हस्तांतरण है। गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री के लिए एक बंधक मुकदमा एक कार्रवाई है, क्योंकि

रेम में एक अधिकार का प्रवर्तन। बंधक पर मुकदमा केवल एक मामला नहीं है।

पैसे के लिए सूट। बंधक के प्रवर्तन के लिए एक मुकदमा आर. ई. एम. में एक अधिकार का प्रवर्तन होने के कारण, द्वारा तय किया जाना होगा

47. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 34 में निहित बंधक मुकदमों के निर्णय से संबंधित योजना, बंधक पर मुकदमों (धारा 85 से 90,97 और 99) से संबंधित संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 के कुछ निरस्त प्रावधानों को प्रतिस्थापित करती है और इसके कुछ अन्य प्रावधानों के कार्यान्वयन का भी प्रावधान करती है। वह
अधिनियम (धारा 92 से 94 और 96)। संहिता का आदेश 34 फरमानों के निष्पादन से संबंधित नहीं है, लेकिन बंधक के मूल अधिकारों को पूरा करने के लिए प्रारंभिक और अंतिम फरमानों का प्रावधान करता है।

उनकी बंधक प्रतिभूति के संदर्भ में। "[2020] 10 एस. सी. आर.

9. अब हम स्विस टाइमिंग (ऊपर) में एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर आते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 11 की अधिकारिता के तहत एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए इस निर्णय को एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती नहीं कहा जा सकता है [पैराग्राफ 17 पर एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्टर्स (ऊपर) देखें]। हालांकि, विद्वान न्यायाधीश के तर्क का मजबूत प्रेरक मूल्य है जिसे हम अपनाने के लिए इच्छुक हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले यह निर्णय दिया कि पी. आनंद गजपति राजू बनाम. पी. वी. जी. राजू, (2000) 4 एस. सी. सी. 539, को एन.

राधाकृष्णन (ऊपर)। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का निर्णय (उपर्युक्त) जिसे न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था, उस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था। इसके अलावा, 1996 के अधिनियम की धारा 5 और 16 के प्रावधानों का भी उल्लेख नहीं किया गया था। 1996 के अधिनियम की धारा 5 में निम्नानुसार कहा गया हैः

" 5. न्यायिक हस्तक्षेप का विस्तार। तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस भाग द्वारा शासित मामलों में, कोई भी न्यायिक प्राधिकारी इसके अलावा हस्तक्षेप नहीं करेगा जहाँ इस भाग में इस प्रकार उपबंध किया गया है।

1996 के अधिनियम की धारा 16 (1) में कहा गया हैः

" 16. इस पर निर्णय देने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण की क्षमता

अधिकार क्षेत्र। — (1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में निर्णय ले सकता है, जिसमें मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय देना शामिल है, और उसके लिए

उद्देश्य, -

(क) एक मध्यस्थता खंड जो एक अनुबंध का हिस्सा है, उसे अन्य शर्तों से स्वतंत्र समझौते के रूप में माना जाएगा -

(ख) मध्यस्थता न्यायाधिकरण का यह निर्णय कि अनुबंध अमान्य है, न्यायिक रूप से मध्यस्थता की अयोग्यता को लागू नहीं करेगा। खंड "।

ये प्रावधान, 1996 के अधिनियम की धारा 8 के साथ, जो अब एक कार्रवाई को संदर्भित करना अनिवार्य बनाता है जो एक के सामने लाया जाता है

न्यायिक प्राधिकरण, जो एक मध्यस्थता समझौते का विषय है, मध्यस्थता के लिए, यदि धारा की शर्तों को पूरा किया जाता है, तो सभी एक समुद्र की ओर इशारा करते हैं।

1940 के अधिनियम से परिवर्तन जो इस 1996 के अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 1996 के अधिनियम की धारा 8 के विपरीत, 1940 की धारा 20 अधिनियम नीचे दिया गया हैः

" 20. न्यायालय मध्यस्थता समझौते में दाखिल करने के लिए आवेदन।

(1) जहाँ किसी भी व्यक्ति ने ए. वी. आई. टी. ई. एल. पोस्ट स्टडीज लिमिटेड और ओ. आर. एस. के बीच मध्यस्थता समझौता किया हो।

वी. एच. एस. बी. सी. पी. आई. ओ. एल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

समझौते के विषय या उसके किसी भाग के संबंध में किसी भी वाद की स्थापना से पहले, और जहां कोई अंतर है

जिसके लिए समझौता लागू होता है, वे या उनमें से कोई भी, इसके बजाय

अध्याय 2 के अधीन कार्यवाही, ऐसे न्यायालय में लागू हो सकती है जिसके पास

उस मामले में अधिकारिता जिससे समझौता संबंधित है, कि

अदालत में समझौता दायर किया जाए।

(2) आवेदन लिखित रूप में होगा और एक या अधिक इच्छुक पक्षों के बीच मुकदमे के रूप में क्रमांकित और पंजीकृत किया जाएगा।

या वादी या वादी के रूप में रुचि रखने का दावा करना और

(3) इस तरह का आवेदन किए जाने पर, न्यायालय प्रत्यक्ष नोटिस देगा। आवेदक के अलावा समझौते के सभी पक्षों को दी जानी चाहिए, जिसमें उन्हें निर्दिष्ट समय के भीतर कारण दिखाने की आवश्यकता होती है।

इस सूचना में कि समझौता क्यों दाखिल नहीं किया जाना चाहिए।

(4) जहां कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है, वहां न्यायालय समझौते को दायर करने का आदेश देगा, और पक्षों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को संदर्भ का आदेश देगा, चाहे वह समझौते में हो या अन्यथा या जहां पक्ष एक मध्यस्थ पर सहमत नहीं हो सकते हैं,

न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को।

(5) इसके बाद मध्यस्थता इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ेगी और उनके द्वारा शासित होगी।

उन्हें लागू किया जा सकता है।

1940 के अधिनियम की धारा 20 से यह देखा जाएगा, जैसा कि अल कादिर (ऊपर) में अभिनिर्धारित किया गया था, कि एक व्यापक विवेकाधिकार न्यायालय में निहित है यदि पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं करने का कारण बनाया जाता है। यह संदर्भ में था कि अब्दुल कादिर (ऊपर) में टिप्पणियाँ गंभीर थीं।1940 के अधिनियम की धारा 20 (4) में दर्शाया गया है कि दीवानी अदालत में सुनवाई योग्य धोखाधड़ी के मामले, "पर्याप्त कारण" होने के कारण बनाए गए थे। इसके अलावा, 940 अधिनियम के दृष्टिकोण को धारा 35 (1) द्वारा स्पष्ट किया गया है, जो नीचे दिया गया है:

" 35. मध्यस्थता पर कानूनी कार्यवाही का प्रभाव। — (1) नहीं।

संदर्भ का विषय शुरू हो गया है। संदर्भ के सभी पक्षों के बीच और उसके एक नोटिस में [2020] 10 एस. सी. आर. है।

मध्यस्थों या अंपायर को दी गई, एक लंबित संदर्भ में आगे की सभी कार्यवाही तब तक की जाएगी, जब तक कि कार्यवाही पर रोक नहीं दी जाती है।

धारा 34 के तहत, अमान्य होगा।

XXX XXX "

इस प्रकार, जहां भी मध्यस्थता की कार्यवाही चल रही है, ऐसी कार्यवाही उस समय अमान्य हो जाती है जब संदर्भ के सभी पक्षों के बीच संदर्भ के पूरे विषय पर कानूनी कार्यवाही शुरू हो जाती है और मध्यस्थों या अंपायर को इसका नोटिस दिया जाता है। इसके विपरीत, 1996 के अधिनियम की धारा 5,8 और 16 मध्यस्थता के लिए एक पूरी तरह से नए दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो यह है कि जब किसी न्यायिक प्राधिकरण को किसी समझौते में मध्यस्थता खंड दिखाया जाता है, तो प्राधिकरण के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करना अनिवार्य है कि मध्यस्थता खंड मध्यस्थता से स्वतंत्र एक समझौता है। अनुबंध की अन्य शर्तें और इसलिए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण का यह निर्णय कि अनुबंध अमान्य है, न्यायिक रूप से मध्यस्थता खंड की अयोग्यता को लागू नहीं करता है। अन्यथा भी, एन. राधाकृष्णन (ऊपर) ने अब्दुल कादिर (ऊपर) के अनुपात का सही उल्लेख नहीं किया। जैसा कि हम यहाँ ऊपर देख चुके हैं, अब्दुल कादिर (ऊपर) ने कहा कि धोखाधड़ी के गंभीर आरोप तब नहीं लगाए जाते हैं जब नैतिक या अन्य गलत कार्यों के आरोप लगाए जाते हैं। विशेष रूप से, यह माना गया कि लेखा पुस्तकों में विसंगतियां लेखा मुकदमों में सामान्य विषय हैं, जो विशुद्ध रूप से नागरिक प्रकृति की हैं। इन सभी कारणों से, हम निज्जर, जे. प्रतिपादन एन. राधाकृष्णन (ऊपर) की टिप्पणियों के साथ व्यापक रूप से सहमत हैं, जिसमें पूर्ववर्ती मूल्य की कमी है।

10. कालानुक्रमिक रूप से अगला निर्णय विमल किशोर शाह बनाम का निर्णय है। जायेश दिनेश शाह, (2016)

8 एस. सी. सी. 788 [विमल किशोर शाह]। दीवानी विवादों की मध्यस्थता के अपवादों की छह श्रेणियों में, एक सातवीं श्रेणी जोड़ी गई है, अर्थात् न्यास अधिनियम, 1882 द्वारा शासित न्यास विलेखों के तहत उत्पन्न होने वाले विवाद।

यहां, यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यास अधिनियम पर विचार करने से पता चलेगा कि विधानमंडल का इरादा न्यास अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय लेने के लिए केवल दीवानी अदालतों को अधिकार क्षेत्र प्रदान करना था, जो मध्यस्थता कार्यवाही सहित अन्य कार्यवाहियों पर एक निहित प्रतिबंध के बराबर होगा। इसलिए अदालत ने पाया किः

" 53. हम, तदनुसार, मानते हैं कि न्यास विलेख और न्यास अधिनियम, 1882 से उत्पन्न न्यास, न्यासियों और लाभार्थियों से संबंधित विवाद मध्यस्थ एविटेल पोस्ट स्टडीज लिमिटेड और ओआरएस द्वारा तय किए जाने में सक्षम नहीं हैं।

वी. एच. एस. बी. सी. पी. आई. ओ. एल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पक्षों के बीच उस प्रभाव के लिए मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बावजूद। इस कारण से, हम मानते हैं कि अधिनियम की धारा 11 के तहत उत्तरदाताओं द्वारा दायर आवेदन पर बनाए रखने योग्य नहीं है इस आधार पर कि पहला, यह अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 2 (1) (बी) और 2 (1) (एच) के अर्थ के भीतर एक "मध्यस्थता समझौते" पर आधारित नहीं है और दूसरा, यह मानते हुए कि एक

मध्यस्थता समझौता (न्यास विलेख का खंड 20) फिर भी विवाद

उसमें निर्दिष्ट निजी को संदर्भित किए जाने में सक्षम नहीं हैं गुण-दोष पर उनके निर्णय के लिए मध्यस्थता।

54. इस प्रकार हम इस न्यायालय द्वारा पैरा 36 में निर्दिष्ट मामलों की छह श्रेणियों की सूची में मामलों की एक और श्रेणी अर्थात श्रेणी (vii), अर्थात् न्यास विलेख और न्यास अधिनियम, 1882 से उत्पन्न मामलों को जोड़ते हैं। 546-47 बूज़ ऐलन एंड में दिए गए निर्णय का

हैमिल्टन इंक. [बूज़ एलन और हैमिल्टन Inc.v। एस. बी. आई. होम फाइनेंस

लिमिटेड (2011) 5 एस. सी. सी. 532: (2011) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 781] जो

उपरोक्त पर मध्यस्थ द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

[इस फैसले को विद्या द्रोलिया में अनुमोदन के साथ भेजा गया था।

ओआरएस। वी. दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. पैराग्राफ 30 पर]।

11. अब अय्यासामी (ऊपर) में महत्वपूर्ण निर्णय आता है।

इसके एक खंड पीठ द्वारा अलग-अलग निर्णय दिए गए थे।

टी. सीकरी, जे., अब्दुल कादिर (ऊपर), राधाकृष्णन (ऊपर), स्विस टाइमिंग (ऊपर) और बूज़ एलन में निर्णयों का उल्लेख करने के बादक), तब 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट को निर्दिष्ट किया गया, विशेष रूप से

उसके 50 और 51 रैग्राफ। फिर उन्होंने कहाः

" 23. उपरोक्त दो अनुच्छेदों के अवलोकन से पता चलता है कि विधि आयोग ने मान्यता दी है कि गंभीर धोखाधड़ी के मामलों में अदालतों ने दीवानी मुकदमों पर विचार किया है। दूसरा, इसने उन मामलों में अंतर करने की कोशिश की है जहां गंभीर धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के आरोप हैं। इस प्रकार यह माना जाता है कि जिन मामलों में धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं, उन्हें गैर-मध्यस्थ माना जाना चाहिए और यह केवल दीवानी अदालत को ही तय करना चाहिए

इस तरह के मामले। हालांकि, जहां धोखाधड़ी के आरोप हैं

सरलता से और इस तरह के आरोप केवल आरोप लगाए जाते हैं, हमारी राय है कि पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते के प्रभाव को रद्द करना आवश्यक नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसे मुद्दों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24. वर्तमान मामले के तथ्यों पर उपरोक्त परीक्षण को लागू करने से पहले, स्विस टाइमिंग लिमिटेड में टिप्पणियों पर एक शब्द। मामला [स्विस टाइमिंग लिमिटेड बनाम। राष्ट्रमंडल खेल 2010

आयोजन समिति, (2014) 6 एससीसी 677: (2014) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 642] इस प्रभाव के लिए कि एन. राधाकृष्णन [एन. राधाकृष्णन बनाम। उस्ताद इंजीनियर, (2010) 1 एस. सी. सी. 72: (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 12] प्रति इन्क्यूरियम था, वारंट है। वास्तव में, हमें इस पहलू पर काम करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह कार्य पहले से ही इस न्यायालय द्वारा राज्य डब्ल्यू. बी. v. में किया गया है। संबद्ध ठेकेदार [राज्य डब्ल्यू. बी. बनाम। संबद्ध ठेकेदार, (2015) 1 एस. सी. सी. 32: (2015) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 1] उपरोक्त मामले में यह स्पष्ट किया गया है कि स्विस टाइमिंग लिमिटेड [स्विस टाइमिंग लिमिटेड v. राष्ट्रमंडल खेल 2010

आयोजन समिति, (2014) 6 एससीसी 677: (2014) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 642] अधिनियम की धारा 11 (6) से निपटने के दौरान दिया गया एक निर्णय था और धारा 11 अनिवार्य रूप से प्रमुख को शक्ति प्रदान करती है।

भारत के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए नामित किया गया है, जिसकी शक्ति का प्रयोग किसी अन्य माननीय न्यायाधीश द्वारा मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि के रूप में किया गया है। न्यायालय द्वारा धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति की यह शक्ति, इस तथ्य के बावजूद कि यह एस. बी. पी. में अभिनिर्धारित किया गया है और

को. वी. पटेल एंग। लिमिटेड [एस. बी. पी. एंड कंपनी. बनाम. पटेल एंग। लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618] एक न्यायिक शक्ति के रूप में, माना नहीं जा सकता है

25. हमारी उपरोक्त चर्चाओं को देखते हुए, हमारी राय है कि केवल धोखाधड़ी सरलीकरण का आरोप पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते के प्रभाव को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। यह केवल उन मामलों में है जहां अदालत, अधिनियम की धारा 8 पर विचार करते समय, यह पाती है कि धोखाधड़ी के बहुत गंभीर आरोप हैं जो आपराधिक अपराध का एक आभासी मामला बनाते हैं या जहां आरोप होते हैं

धोखाधड़ी के मामले इतने जटिल हो जाते हैं कि यह बिल्कुल आवश्यक हो जाता है कि इस तरह के जटिल मुद्दों का फैसला केवल दीवानी अदालत द्वारा भारी सबूतों की सराहना पर किया जा सकता है। प्रस्तुत किए जाने पर, अदालत धारा 8 के तहत आवेदन को खारिज करके समझौते का पक्ष ले सकती है और गुण-दोष के आधार पर मुकदमे के साथ आगे बढ़ सकती है। ऐसा उन मामलों में भी किया जा सकता है जहां एविटेल पोस्ट स्टडीज लिमिटेड एंड ओआरएस के समर्थन में दस्तावेजों की जालसाजी/मनगढ़ंत रचना के गंभीर आरोप हैं।

वी. एच. एस. बी. सी. पी. आई. ओ. एल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

धोखाधड़ी की याचिका या जहां मध्यस्थता प्रावधान के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाता है या ऐसी प्रकृति का होता है जो मध्यस्थता के समझौते सहित पूरे अनुबंध में व्याप्त होता है, जिसका अर्थ है उन मामलों में जहां धोखाधड़ी पूरे अनुबंध की वैधता तक जाती है जिसमें मध्यस्थता खंड या स्वयं मध्यस्थता खंड की वैधता शामिल है। इसके विपरीत स्थिति यह होगी कि जहां पक्ष के आंतरिक मामलों को छूते हुए धोखाधड़ी के साधारण आरोप हैं और इसका सार्वजनिक क्षेत्र में कोई निहितार्थ नहीं है, मध्यस्थता खंड से बचने की आवश्यकता नहीं है और पक्षों को मध्यस्थता के लिए हटा दिया जा सकता है। अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन में इस तरह के मुद्दे से निपटने के दौरान, अदालत का ध्यान इस सवाल पर होना चाहिए कि क्या

इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि अदालत का अधिकार क्षेत्र है या नहीं, अदालत के अधिकार क्षेत्र को हटा दिया गया है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जहां तक अधिनियम की वैधानिक योजना का संबंध है, यह विशेष रूप से किसी भी श्रेणी के मामलों को गैर-मध्यस्थता के रूप में बाहर नहीं करता है। गैर-मध्यस्थ विषयों की ऐसी श्रेणियां अदालतों द्वारा बनाई जाती हैं, सामान्य कानून के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि कुछ विवाद जो सार्वजनिक प्रकृति के हैं, आदि नहीं हैं।

मध्यस्थता द्वारा न्यायनिर्णयन और निपटान करने में सक्षम और ऐसे विवादों का समाधान, अदालतें यानी सार्वजनिक मंच, मध्यस्थता के एक निजी मंच की तुलना में बेहतर हैं। इसलिए, न्यायालय की जांच, अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय, उपरोक्त पहलू पर होनी चाहिए। क्या विवाद की प्रकृति ऐसी है कि इसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है, भले ही पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता हो। जब धोखाधड़ी का मामला किसी एक पक्ष द्वारा स्थापित किया जाता है और उस आधार पर कि वह पक्ष उस मध्यस्थता समझौते से बाहर निकलना चाहता है, तो धोखाधड़ी के आरोपों की एक सख्त और सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता होती है और केवल तभी जब न्यायालय का समाधान हो जाता है कि आरोप गंभीर और जटिल प्रकृति के हैं कि न्यायालय के लिए मध्यस्थता के लिए पक्षों को हटाने के बजाय विषय-मामले से निपटना अधिक उचित होगा, तो धारा 8 के तहत इस तरह के आवेदन को ही खारिज कर दिया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने एक अलग फैसले में राधाकृष्णन (ऊपर) के फैसले का उल्लेख किया और फिर कहाः

" 40. उपरोक्त उद्धरण एन. राधाकृष्णन [एन. राधाकृष्णन बनाम। उस्ताद इंजीनियर, (2010) 1 एस. सी. सी. 72:

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 12] व्यापक रूप से अब्दुल कादिर [अब्दुल कादिर शम्सुद्दीन बुबरे बनाम में प्रस्तावित दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। माधव

प्रभाकर ओक, एआईआर 1962 एससी 406]। अब्दुल में निर्णय कादिर [अब्दुल कादिर शम्सुद्दीन बुबरे बनाम। माधव प्रभाकर ओक, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 406] मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत उत्पन्न हुआ और धारा 20 के प्रावधानों के संदर्भ में था। अब्दुल में

कादिर [अब्दुल कादिर शम्सुद्दीन बुबरे बनाम। माधव प्रभाकर ओक, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 406], इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 20 की उप-धारा (4) ने न्यायालय में व्यापक विवेकाधिकार छोड़ दिया है। इसके विपरीत, 1996 के अधिनियम की योजना ने पूर्ववर्ती अधिनियम के तहत स्थिति से एक मौलिक विचलन किया है। धारा 8 में एक उल्लेखनीय अंतर किया गया है जहां न्यायिक प्राधिकरण के लिए पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया है। अब्दुल कादिर [अब्दुल कादिर शम्सुद्दीन बुबरे बनाम। माधव प्रभाकर ओक, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 406] मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत स्थिति की व्याख्या करते हैं। इस विषय पर वर्तमान कानून एक सचेत प्रस्थान का प्रतीक है जिसका उद्देश्य है

द्वारा प्रदत्त अधिकारिता के आधार पर संबंध मध्यस्थता समझौता "।

इसके बाद उन्होंने एन. राधाकृष्णन (ऊपर) के उपयोग के खिलाफ आगाह किया और इसे इस प्रकार अलग कियाः

" 45. एन. राधाकृष्णन बनाम में निर्णय से पहले और बाद में उभरी स्थिति। उस्ताद इंजीनियर,

(2010) 1 एससीसी 72: (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 12] यह है कि इस न्यायालय के क्रमिक निर्णयों ने बाध्यकारी नियम को प्रभावी बनाया है। धारा 8 में निगमित। एक बार जब पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौता हो जाता है, तो एक न्यायिक प्राधिकरण जिसके समक्ष मध्यस्थता समझौते के विषय को शामिल करते हुए एक कार्रवाई की जाती है, अनुबंध की शर्तों को लागू करके पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक सकारात्मक दायित्व के तहत होता है। अदालत या न्यायिक प्राधिकरण में पक्षकारों को सहारा लेने के लिए मजबूर करने वाले विधायी जनादेश को निरस्त करने के लिए विवेक का कोई तत्व नहीं बचा है

मध्यस्थता के लिए।

N.Radhakrishnan एविटेल पोस्ट स्टडीज लिमिटेड एंड ओआरएस में निर्णय। वी. एच. एस. बी. सी. पी. आई. ओ. एल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

[N.Radhakrishnan v. उस्ताद इंजीनियर, (2010) 1 एस. सी. सी. 72: (2010) 1 हालाँकि, एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 12] का उपयोग धोखाधड़ी का बचाव करने के लिए मध्यस्थता से बचने के लिए एक सुविधाजनक चाल की मांग करने वाले पक्षों द्वारा किया गया हैः

45.1 . सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि एन. राधाकृष्णन [एन. राधाकृष्णन बनाम। उस्ताद इंजीनियर, (2010) 1 एस. सी. सी. 72: (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 12] इस व्यापक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है कि केवल धोखाधड़ी का आरोप पर्याप्त आधार है जो पक्षों को विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए अपने समझौते का पालन करने के लिए मजबूर नहीं करता है। अक्सर, धोखाधड़ी का एक बोगी निर्धारित किया जाता है यदि केवल यह अनुरोध करने के लिए कि विवाद पर मध्यस्थता नहीं की जा सकती है। इस तरह की याचिका की अनुमति देना एक स्पष्ट गलत व्याख्या होगी एन. राधाकृष्णन [एन. राधाकृष्णन बनाम। उस्ताद इंजीनियर, (2010) 1 एस. सी. सी. 72: (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. वी.) 12]। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, वह एक ऐसा मामला था जिसमें अपीलार्थी ने याचिका दायर की थी

धोखाधड़ी और आपराधिक गबन से संबंधित दावों को स्थापित करने के लिए साक्ष्य का उत्पादन। अतः यह आवश्यक है कि इस बात पर जोर दें कि पहले सिद्धांत के रूप में, इस न्यायालय ने यह नहीं माना है कि केवल धोखाधड़ी का आरोप मध्यस्थता को बाहर कर देगा। बोझ उस पक्ष पर बहुत अधिक होना चाहिए जो यह स्थापित करने के लिए मध्यस्थता के लिए विवादों को प्रस्तुत करने के लिए उसके द्वारा ग्रहण किए गए दायित्व के अनुपालन से बचता है कि विवाद वर्तमान में लागू कानून के तहत मध्यस्थता योग्य नहीं है। ऐसे प्रत्येक मामले में जहां धोखाधड़ी और आपराधिक गलत काम के आधार पर आपत्ति उठाई जाती है, यह न्यायिक प्राधिकरण को यह निर्धारित करने के उद्देश्य से सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करनी है कि क्या बचाव पक्ष केवल मध्यस्थता से बचने का बहाना है। यह केवल वहाँ है जहाँ आपराधिक गलती से जुड़े धोखाधड़ी का एक गंभीर मुद्दा है जो N.Radhakrishnan [N.Radhakrishnan v में उकेरी गई मध्यस्थता के लिए अपवाद है। उस्ताद इंजीनियर,

(2010) 1 एससीसी 72: (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 12] अस्तित्व में आ सकता है।

45.2 . धोखाधड़ी के आरोप सामान्य दीवानी अदालतों के लिए अलग नहीं हैं। न्यायाधीशों की पीढ़ियों ने [2020] 10 एस. सी. आर. में इस तरह के आरोपों से निपटा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नागरिक और वाणिज्यिक विवादों का संदर्भ। यदि धोखाधड़ी के आरोप पर एक साधारण दीवानी अदालत के समक्ष मुकदमे के दौरान निर्णय लिया जा सकता है, तो ऐसे विवादों को मध्यस्थता में दावे के दायरे और दायरे से बाहर करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है। जो पक्ष वाणिज्यिक लेन-देन करते हैं और एक मध्यस्थ मंच द्वारा विवादों के समाधान के लिए सहमत होते हैं, वे एक विकल्प का प्रयोग करते हैं और अपने विवादों के समाधान के लिए एक पसंदीदा तरीके का विकल्प व्यक्त करते हैं। मध्यस्थता चुनने में पक्षकार गति को प्राथमिकता देते हैं,

मध्यस्थता निर्णय में निहित लचीलापन और विशेषज्ञता। एक बार

पक्षकारों ने विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने पर सहमति व्यक्त की है, न्यायालय को स्पष्ट रूप से मध्यस्थता का सहारा लेने से बचने के लिए बनाई गई मुकदमेबाजी रणनीतियों को हतोत्साहित और छूट देनी चाहिए। कोई भी अन्य दृष्टिकोण मध्यस्थता की संस्थागत प्रभावकारिता को गंभीरता से अनिश्चितता में डाल देगा। इस तरह

परिणाम से बचना चाहिए। "

कानून के बयान के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने गैरी बी. बॉर्न के एक सक्रिय अंश का उल्लेख इस प्रकार कियाः

" 56. कानूनी स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। गैरी बी. बोर्न द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में [2nd

एडन। , खण्ड. आई, पी। 846] इस प्रकारः

व्यावहारिक मामले में, यह अपेक्षाकृत असामान्य है कि एक पक्ष धोखाधड़ी द्वारा मध्यस्थता करने के लिए एक समझौता प्राप्त करने की कोशिश करेगा, उन मामलों में भी जहाँ उसने अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुबंध के संबंध में धोखाधड़ी की होगी।

(इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कानून और मौरो रुबिनो द्वारा अभ्यास-समार्टानो [दूसरा संस्करण। , पी। 179] .)

" AVITEL POST STUDIOZ LIMITED & ORS। वी. एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

श्री सौरभ कृपाल ने न्यायमूर्ति सीकरी के फैसले पर आपत्ति जताई।

न्यायमूर्ति सीकरी ने 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट के पैराग्राफ 52 और उसके बाद के परिणाम का उल्लेख नहीं किया। 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट का अनुच्छेद 52 इस प्रकार हैः

" 52. आयोग का मानना है कि इस पूरे मामले को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है

विवाद को विराम दें और धोखाधड़ी के मुद्दों को स्पष्ट रूप से मनमाना बनाएँ और इसके लिए धारा 16 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

(पी पर। 28)

विधि आयोग ने तब संशोधन के माध्यम से जोड़ा कि

प्रस्तावित धारा 16 (7) निम्नानुसार हैः

" धारा 16 का संशोधन

10. धारा 16 में,

उप-धारा (6) के बाद, उप-धारा अंतःस्थापित करें "(7) मध्यस्थता न्यायाधिकरण

पुरस्कार देने या निर्णय देने की शक्ति होगी

कानून, तथ्य के जटिल प्रश्न या धोखाधड़ी के आरोप, भ्रष्टाचार आदि।

[नोटः यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के आलोक में प्रस्तावित किया गया है।

अदालती निर्णय (जैसे एन. राधाकृष्णन बनाम. उस्ताद इंजीनियर, (2010) 1 एस. सी. सी. 72) जो एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की निंदा करता प्रतीत होता है

धोखाधड़ी आदि के मुद्दों पर निर्णय लेने की शक्ति।]

(पी पर। 50)

फिर उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख किया कि उपरोक्त उप-धारा थी

उन्होंने इसे लागू नहीं करने का फैसला किया। इस प्रस्ताव के लिए, उन्होंने ला पिंटाडा (सुप्रा) का उल्लेख किया। यह निर्णय चक्रवृद्धि ब्याज देने वाले पुरस्कार को चुनौती देने से संबंधित है, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे मामले में जहां ऋण का भुगतान देर से किया जाता है, लेकिन इसकी वसूली के लिए कोई भी कार्यवाही

शुरू होने से पहले। लॉर्ड ब्रैंडन ऑफ ओकब्रुक, जिन्होंने इस मामले में मुख्य निर्णय लिखा था, ने कहाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" तीन मामले हैं जिनमें किसी भी सामान्य कानून का अभाव है ऋण के देर से भुगतान के कारण होने वाले नुकसान या हानि के लिए उपाय उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे मामले जिनका मैं निम्नलिखित में वर्णन करूँगा मामला 1, मामला 2 और मामला 3 की तरह सुविधा। मामला 1 वह है जहाँ ऋण है। इसकी वसूली के लिए किसी भी कार्यवाही से पहले, देर से भुगतान किया जाता है शुरू किया। मामला 2 वह है जहाँ ऋण का भुगतान कार्यवाही के बाद देर से किया जाता है। इसकी बहाली शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले कि वे निष्कर्ष निकाला। मामला 3 वह है जहाँ एक ऋण परिणाम के रूप में भुगतान नहीं किया जाता है। निष्कर्ष, एक धन निर्णय दिया जाता है जिसमें मूल ऋण मिलाया जाता है "।

(पी पर। 122)

विभिन्न उदाहरणों का उल्लेख करने के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने संदर्भित किया 07.04.1978 की विधि आयोग की रिपोर्ट, जिसमें शामिल था कानून में परिवर्तन के लिए संशोधन और एक मसौदा विधेयक जो नाबोव। हालाँकि, जब संसद ने प्रशासन को पारित कियासी. ई. अधिनियम, 1982 में मामले 2 और 3 को शामिल किया गया था, लेकिन मामले 1 को नहीं। इस संदर्भ में, ब्रैंडन ने कहाः

" मेरा पहला मुख्य कारण यह है कि अन्याय का बड़ा हिस्सा लंदन, चैथम और डोवर के परिणामस्वरूप ऋणदाता रेलवे के मामले को अब काफी हद तक हटा दिया गया है विधायी हस्तक्षेप, और कुछ हद तक न्यायिक योग्यता द्वारा निर्णय के दायरे के बारे में। मेरा दूसरा मुख्य कारण यह है कि, जब संसद ने कुछ लोगों को कानून द्वारा प्रभाव दिया है

किसी विशेष क्षेत्र में विधि आयोग की सिफारिशें,

लेकिन एक नीतिगत निर्णय लिया है जो नहीं देने के लिए प्रतीत होता है

इस तरह की किसी और सिफारिश पर प्रभाव, आपके किसी भी निर्णय पर

लॉर्डशिप्स हाउस जो प्रभाव देने का परिणाम होगा, एक अन्य मार्ग से, उसी सिफारिश के लिए जो संसद

ऐसा प्रतीत होता है कि अस्वीकार करने के लिए उस नीतिगत निर्णय को लिया गया है, अच्छी तरह से हो सकता है

पर एक पहले के निर्णय से प्रस्थान में एक न्यायिक अभ्यास के रूप में इस आधार पर कि यह अप्रचलित हो गया है और अभी भी सीमित रूप से हो सकता है

मामलों के वर्ग, कुछ हद तक अन्याय का कारण बनते रहते हैं।

(पीपी में। 129-130)

अन्य लॉ लॉर्ड्स के भाषणों से देखा जा सकता है,

उन्होंने कितनी बड़ी अनिच्छा से अपील की अनुमति दी और अपील न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया। प्रत्येक लॉ लॉर्ड्स ने अफसोस और अनिच्छा के साथ ऐसा किया। इसका वास्तविक कारण लंदन, चैथम और डोवर रेलवे कंपनी बनाम। दक्षिण पूर्वी रेलवे कंपनी, [1893] ए. सी. 429 ["लंदन रेलवे मामला"] को एक सामान्य कानून (एक वैधानिक के विपरीत) मार्ग के माध्यम से खारिज नहीं किया जा सकता था क्योंकि वैधानिक मार्ग ऋणों पर ब्याज के पुरस्कार को एक उपाय के रूप में मानता था जिसके लिए एक लेनदार को अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि केवल विवेक के मामले के रूप में हकदार होना चाहिए; जबकि सामान्य कानून मार्ग ने उन्हें अधिकार के मामले के रूप में ऐसा ब्याज प्रदान किया। यदि लंदन रेलवे मामले (उपरोक्त) को निरस्त करने में, दो समानांतर उपचार बनाए जाते हैं, तो इससे कानून में एक असंगत स्थिति पैदा होगी, जिसके परिणामस्वरूप, 1893 के निर्णय से कोई विचलन नहीं किया गया था। इसके अलावा, लॉर्ड ब्रैंडन के शब्दों में, यह आयोजित किया गया थाः

देर से भुगतान करना छोटा है, कई वर्षों से मौजूद है और ऐसा नहीं लगता है तत्काल बंद करने की आवश्यकता है "।

(पी पी में। 130-131)

12. के अनुपात को पुनर्जीवित करने के लिए इस मामले को लागू करना थोड़ा मुश्किल है

एन. राधाकृष्णन (ऊपर) के बाद से इस न्यायालय द्वारा कानून में की गई प्रगति को देखते हुए एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में एन. राधाकृष्णन (ऊपर) थे

संसद ने यह भी सोचा होगा कि विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित धारा 16 (7) बेढंगे शब्दों में लिखी गई है क्योंकि यह "कानून का एक गंभीर प्रश्न, तथ्य के जटिल प्रश्न, या धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि के आरोपों" की बात करती है। N.Radhakrishnan (ऊपर) ने यह निर्धारित नहीं किया कि कानून के गंभीर प्रश्न या तथ्य के जटिल प्रश्न गैर-मध्यस्थ हैं। इसके अलावा, 1 इस मामले को ला पिंटाडा (ऊपर) में लॉर्ड ब्रैंडन के फैसले में संदर्भित किया गया है और पी में प्रतिष्ठित किया गया है। 130 उसका निर्णय।

0] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि के आरोप अस्पष्ट हैं। इस कारण से भी, संसद ने धोखाधड़ी अपवाद पर काम करने के लिए इसे अदालतों पर छोड़ दिया होगा। किसी भी मामले में, हमने इंगित किया है कि एन. राधाकृष्णन (ऊपर) में किसी भी ऐसे प्रावधान का, 1940 के अधिनियम के तहत एक निर्णय पर आधारित होने के कारण, और 1996 के अधिनियम की धारा 5,8 और 16 पर उनके उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किए बिना, सभी यह दर्शाते हैं कि

इस मामले को अब मध्यस्थता कार्यवाही को नकारने के लिए धोखाधड़ी मंत्र के अनुप्रयोग के लिए एक मिसाल के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। इस फैसले में दिए गए कारणों से, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले का कोई उपयोग नहीं होगा।

13. अय्यासामी (ऊपर) में निर्णय तब अमित लालचंद शाह बनाम में लागू किया गया था। ऋषभ एंटरप्राइजेज, (2018) 15 एससीसी 678। इसके बाद न्यायाधीश के फैसले सीकरी से पैराग्राफ 25 और चंद्रचूड़ के पैराग्राफ 48 को निकालते हुए, न्यायाधीश के फैसले अय्यासामी (ऊपर) में, अदालत ने फैसला सुनायाः

" 37. यह केवल वहाँ है जहाँ धोखाधड़ी के गंभीर प्रश्न शामिल हैं, मध्यस्थता को अस्वीकार किया जा सकता है। इस मामले में, जैसा कि तर्क दिया गया है

अपीलकर्ताओं पर धोखाधड़ी का कोई गंभीर आरोप नहीं था; एस्टनफील्ड के खिलाफ लगाए गए आरोप हैं कि अपीलकर्ता 1 अमित लालचंद

शाह ने उत्तरदाताओं को अधिक भुगतान करने के लिए प्रेरित करके गलत तरीके से प्रस्तुत किया

उपकरणों की खरीद के लिए मूल्य। बेशक, आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली के समक्ष 2015 की एफ. आई. आर. संख्या 30 दिनांक 1 में अपीलार्थियों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। अपीलार्थी 1 अमित लालचंद शाह ने उक्त एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2016 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 619 दायर की है। उक्त रिट याचिका लंबित बताई गई है और इसलिए, हम इस संबंध में कोई विचार व्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, ऐसा न हो कि

पक्षकारों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करेगा। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि आरोपों को इतना गंभीर नहीं कहा जा सकता है कि पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार कर दिया जाए। किसी भी स्थिति में, नियुक्त मध्यस्थ धोखाधड़ी के आरोपों की बहुत अच्छी तरह से जांच कर सकता है।

14. राशिद रज़ा (ऊपर) के रूप में रिपोर्ट किए गए एक हालिया फैसले में, इस अदालत ने सीकरी, जे. के फैसले को अय्यासामी (ऊपर) में संदर्भित किया और फिर

आयोजितः

" 4. इस अपील में निर्धारित कानून के सिद्धांत जालसाजी/मनगढ़ंत आरोपों के बीच अंतर करते हैं। "साधारण आरोपों" के विपरीत धोखाधड़ी की याचिका।

दो कार्यरत एविटेल पोस्ट स्टडीज लिमिटेड और ओआरएस। वी. एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मौरिसियस) लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पैरा 25 में निर्धारित परीक्षण इस प्रकार हैंः (1) क्या यह याचिका पूरे अनुबंध और सबसे बढ़कर, मध्यस्थता के समझौते में व्याप्त है,

इसे अमान्य बनाना, या (2) क्या धोखाधड़ी के आरोप पक्षों के आंतरिक मामलों को छूते हैं, जिसका कोई निहितार्थ नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र में "।

इन निर्णयों के बाद, यह स्पष्ट है कि "धोखाधड़ी के गंभीर आरोप" केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब निर्धारित दो परीक्षणों में से कोई भी संतुष्ट हो, और नहीं।

अन्यथा। पहला परीक्षण केवल तभी संतुष्ट होता है जब यह कहा जा सकता है कि मध्यस्थता खंड या समझौते को स्वयं एक स्पष्ट मामले में मौजूद नहीं कहा जा सकता है जिसमें अदालत को पता चलता है कि जिस पक्ष के खिलाफ उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, उससे संबंधित समझौते में प्रवेश नहीं किया जा सकता है बिल्कुल भी मध्यस्थता। यह कहा जा सकता है कि दूसरा परीक्षण उन मामलों में किया गया है जिनमें राज्य या उसके खिलाफ मनमाने, धोखाधड़ी या दुर्भावनापूर्ण आचरण के आरोप लगाए गए हैं, इस प्रकार एक रिट अदालत द्वारा मामले की सुनवाई की आवश्यकता होती है जिसमें ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं जो मुख्य रूप से अनुबंध से उत्पन्न होने वाले प्रश्न या उसके उल्लंघन नहीं होते हैं।

लेकिन सार्वजनिक कानून के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले प्रश्न। 15. इस स्तर पर, एफकॉन्स (ऊपर) और बूज़ एलन (ऊपर) में कानून के व्यापक कथन से निपटना आवश्यक है। जब एफकॉन्स

(उपर्युक्त) अनुच्छेद 27 (iv) में "धोखाधड़ी, दस्तावेजों के निर्माण, जालसाजी, प्रतिरूपण, जबरदस्ती आदि के गंभीर और विशिष्ट आरोपों से जुड़े मामलों" को संदर्भित करता है, इसे अब अय्यासामी (उपर्युक्त) और राशिद रजा (उपर्युक्त) में निर्धारित अर्थों में समझा जाना चाहिए। जब बात आती है एफकॉन्स (ऊपर) में पैरा 27 (vi), और बूज़ एलन (ऊपर) में पैरा 36 (i), अर्थात् आपराधिक अपराधों के लिए अभियोजन से जुड़े मामले, यह है -

यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि तथ्यों के एक ही समूह के नागरिक और आपराधिक परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार, के. जी. प्रेमशंकर बनाम

पुलिस निरीक्षक, (2002) 8 एस. सी. सी. 87 ["प्रेमशंकर"], इस न्यायालय को निम्नलिखित संदर्भ में जवाब देना थाः

" 7. इस न्यायालय ने 9-11-1998 पर निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" चूँकि हमारा विचार है कि वी. एम. शाह बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। महाराष्ट्र राज्य [(1995) 5 एससीसी 767: 1995 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1077], जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने भरोसा किया है, की आवश्यकता है।

पुनर्विचार के लिए, हम इस याचिका को एक बड़ी पीठ के पास भेजते हैं निपटान। अभिलेख को माननीय के समक्ष रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश

आवश्यक आदेशों के लिए। "[2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वी. एम. शाह बनाम में टिप्पणियाँ। महाराष्ट्र राज्य, 1995

सी. सी. 767, जिसके कारण संदर्भ प्राप्त हुआ, पैराग्राफ 11 में इस प्रकार निर्धारित किया गया है बनाम ः

" 11. उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, हम उल्लेख करेंगे

वी. एम. शाह मामले [(1995) 5 एस. सी. सी. 767 में की गई टिप्पणियाँः

1995 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1077] जो निम्नानुसार हैंः (एस. सी. सी पी. 770, पैरा 11)

इस निष्कर्ष को दर्ज किया कि अपीलकर्ता नहीं आया था कंपनी के माध्यम से कब्जा लेकिन स्वतंत्र था

प्रमुख मकान मालिक से किरायेदारी के अधिकार और, इसलिए,

बेदखली के आदेश को अस्वीकार कर दिया गया था। जब तक कि यह निष्कर्ष उचित न हो जाए

साक्ष्य पर विचार करने के बाद अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है

नए सिरे से और यदि यह उल्टा होता है, तो निष्कर्ष बाध्य करते हैं

पार्टियाँ। आपराधिक अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष सही हैं

दीवानी अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों द्वारा प्रतिस्थापित।

इस प्रकार, दीवानी अदालत के निष्कर्षों को प्राथमिकता मिलती है

विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष, विशेष रूप से, सारांश में

धारा 630 जैसे अपराधों के लिए मुकदमा। केवल की लम्बितता अपील के संचालन को निलंबित करने का प्रभाव नहीं पड़ता है

विचारण न्यायालय की डिक्री और न ही सिविल का निष्कर्ष

अदालत को न तो आदेश मिलता है और न ही आदेश निष्क्रिय हो जाता है।

(मूल में जोर)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 से 43 का उल्लेख करने के बाद, और एम. एस. शेरिफ बनाम में निर्णय। मद्रास राज्य, 1954

1144 , इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 32. वर्तमान मामले में, संविधान द्वारा दिया गया निर्णय

एम. एस. शेरिफ मामले में पीठ [ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 397: 1954 क्रि एल. जे.

1019] बाध्यकारी होगा, जिसमें यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि

दीवानी और आपराधिक अदालतों में परस्पर विरोधी निर्णय प्रासंगिक नहीं है। विचार करें। कानून में कहा गया है कि

" ऐसी संभावना जब यह स्पष्ट रूप से करने से बचती है

एक न्यायालय का निर्णय दूसरे पर बाध्यकारी, या प्रासंगिक भी,

सीमित उद्देश्य जैसे सजा या हर्जाने को छोड़कर।

33. इसलिए, इस न्यायालय द्वारा वी. एम. शाह में की गई टिप्पणी

मामला [(1995) 5 एससीसी 767: 1995 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1077] कि खोज एविटेल पोस्ट स्टडीज लिमिटेड एंड ओ. आर. एस.

वी. एच. एस. बी. सी. पी. आई. ओ. एल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

आपराधिक न्यायालय द्वारा अभिलिखित सिविल न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष कानून का सही उच्चारण नहीं है।

इसके अलावा, करम चंद में की गई सामान्य टिप्पणियाँ

मामला [(1970) 3 एससीसी 694] ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों के संदर्भ में है। न्यायालय को पहले पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी एम. एस. शेरिफ मामले में संविधान पीठ का निर्णय [आकाशवाणी]

1954 एससी 397: 1954 सी. आर. आई. एल. जे. 1019] के साथ-साथ धारा 40 से 43 तक

साक्ष्य अधिनियम "।

इसी तरह, पी. स्वरूपा रानी बनाम। एम. हरि नारायण, (2008) 5

765 , इस न्यायालय ने प्रस्ताव रखाः

" 11. हालाँकि, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी मामले में, दीवानी

कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही एक साथ आगे बढ़ सकती है। दीवानी कार्यवाही या आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई जाएगी या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। (देखें।

एमएस शेरिफ बनाम मद्रास राज्य [ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 397], इकबाल सिंह मारवाह बनाम। मीनाक्षी मारवाह [(2005) 4 एससीसी 370: 2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1101] और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान बनाम। एसोसिएशन। सनदी प्रमाणित लेखाकारों का [(2005) 12 एस. सी. सी. 226

: (2006) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 544]। "

सैयद अस्करी हादी अली ऑगस्टीन इमाम बनाम। राज्य (दिल्ली)

एन.) , (2009) 5 एस. सी. सी. 528, यह आयोजित किया गया थाः

" 24. यदि किसी आपराधिक कार्यवाही को प्रधानता दी जानी है, तो निर्विवाद रूप से दीवानी मुकदमे का निर्धारण उसके समक्ष लाए गए साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि आपराधिक कार्यवाही में लाए गए साक्ष्य के संदर्भ में। सवाल उठा कि

के. जी. प्रेमशंकर बनाम में विचार। पुलिस निरीक्षक [(2002)

8 एससीसी 87: 2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 223]

25. हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि करम चंद गंगा प्रसाद बनाम मामले में इस न्यायालय का निर्णय। भारत संघ [(1970) 3 एस. सी. सी. 694], जिसमें यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि दीवानी अदालतों के निर्णय आपराधिक अदालतों पर बाध्यकारी होंगे, लेकिन इसके विपरीत सच नहीं

है, को खारिज कर दिया गया था। स्वयंसिद्ध रूप से, यदि दीवानी अदालत का निर्णय आपराधिक अदालत पर बाध्यकारी नहीं है, तो आपराधिक अदालत का निर्णय निश्चित रूप से दीवानी अदालत पर बाध्यकारी नहीं होगा।

किशन सिंह बनाम। गुरपाल सिंह (2010) 8 एस. सी. सी. 775, न्यायालय ने इस विषय पर सभी प्रासंगिक निर्णयों को रद्द कर दिया और अंततः 10 एस. सी. आर. का फैसला सुनाया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 13. वी. एम. शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1995) 5 एससीसी 767: 1995 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1077] इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः (एस. सी. सी पी. 770, पैरा 11)

यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी के कब्जे में नहीं आया था कंपनी के माध्यम से लेकिन स्वतंत्र किरायेदारी अधिकार थे

प्रमुख मकान मालिक और इसलिए, बेदखली के लिए डिक्री

आपराधिक अदालत द्वारा दर्ज किया गया, निष्कर्षों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया दीवानी अदालत द्वारा दर्ज किया गया। इस प्रकार, सिविल के निष्कर्ष

अदालत, विशेष रूप से, धारा जैसे अपराधों के लिए संक्षिप्त परीक्षण में 630. केवल अपील के लंबित रहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है

न तो दीवानी अदालत के फैसले में खलल पड़ता है और न ही आदेश में। निष्क्रिय हो जाता है "।

14. वी. एम. शाह [(1995) 5 एस. सी. सी. 767 में उपरोक्त निर्णय की शुद्धता - 1995 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1077] पर इस न्यायालय द्वारा संदेह किया गया था और मामले को के. जी. प्रेमशंकर बनाम में एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। पुलिस निरीक्षक [(2002) 8 एस. सी. सी 87: 2003 एससीसी (सीआरआई) 223: ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 3372] उक्त मामले में, वी. एम. शाह [(1995) 5 एस. सी. सी. 767 में निर्णयः 1995 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1077] को मंजूरी नहीं दी गई। मामले का निर्णय करते समय, इस न्यायालय ने इस पर भरोसा रखा

राजा सम्राट बनाम में प्रिवी काउंसिल का निर्णय। ख्वाजा नजीर अहमद [(1943-44) 71 IA 203: ए. आई. आर. 1945 पी. सी. 18] जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः (आई. ए पी. 212)

" ..... यह स्वीकार किया जाता है कि एक दीवानी कार्यवाही में निष्कर्ष हैं

बाद में स्थापित अभियोजन में बाध्यकारी नहीं [पर]

समान या समान आरोप। इसके अलावा पुलिस ने

जाँच रोक दी गई थी और यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है

किसी भी पिछले निर्णय के संदर्भ में अपने निष्कर्ष पर पहुँचें जो यह बाध्यकारी नहीं है।

(जोर दिया गया)

AVITEL POST STUDIOZ LIMITED & ORS। वी. एच. एस. बी. सी. पी. आई. ओ. एल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

15. पी. स्वरूपा रानी बनाम। एम. हरि नारायण [(2008) 5 एससीसी 765: (2008) 3 एससीसी (सीआरआई) 79: ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 1884] इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः (एससीसी पीपी। 769-71 , पैरा 11,13 और 18)

" 11. हालाँकि, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी मामले में, दीवानी

कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही आगे बढ़ सकती है।

एक साथ। चाहे दीवानी कार्यवाही हो या आपराधिक

तथ्यों के आधार पर कार्यवाही पर रोक लगाई जाएगी और

XXX XXX XXX 13. एक स्वतंत्र आपराधिक कार्यवाही दायर करना, हालांकि दीवानी अदालत द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के संदर्भ में शुरू किया गया है, किसी भी क़ानून के तहत वर्जित नहीं है। .....

XXX XXX XXX

18. यह बिना कहे चला जाता है कि प्रत्यर्थी को ऐसे उपाय का सहारा लेने की स्वतंत्रता होगी जो उसके लिए कानूनी रूप से उपलब्ध है। हमने विवादित आदेश में केवल इसलिए हस्तक्षेप किया है क्योंकि कानून में दीवानी और आपराधिक मामले की एक साथ कार्यवाही की अनुमति है।

16. इकबाल सिंह मारवाह बनाम। मीनाक्षी मारवाह [(2005) 4

एससीसी 370: 2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1101] इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः (एससीसी पीपी। 389-90 , पैरा 32)

दोनों कार्यवाहियों में आवश्यक पूरी तरह से अलग है। दीवानी मामलों का निर्णय साक्ष्य की प्रधानता के आधार पर किया जाता है जबकि एक आपराधिक मामले में पूरा बोझ अभियोजन पक्ष पर होता है और उचित संदेह से परे सबूत देना पड़ता है। न तो कोई वैधानिक प्रावधान है और न ही कोई कानूनी सिद्धांत है कि निष्कर्ष एक कार्यवाही में अभिलिखित को दूसरे में अंतिम या बाध्यकारी माना जा सकता है, क्योंकि दोनों मामलों का निर्णय उसमें दिए गए साक्ष्य के आधार पर किया जाना है।

17. सैयद अस्करी हादी अली ऑगस्टीन इमाम बनाम। राज्य (दिल्ली प्रशासन) [(2009) 5 एस. सी. सी. 528] इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर पहले के सभी निर्णयों पर विचार किया और कहा कि करम चंद [(1970) 3 एस. सी. सी. 694 में मामले का निर्णय लेते समयः ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1244], यह [2020] 10 एस. सी. आर.

न्यायालय संविधान पीठ के फैसले पर ध्यान देने में विफल रहा

एम. एस. शेरिफ [ए. आई. आर 1954 एस. सी. 397: 1954 सी. आर. आई. एल. जे. 1019] और इसलिए, यह इनक्यूरियम के अनुसार बना रहता है और सही कानून निर्धारित नहीं करता है। विष्णु दत्त के मामले में भी इस अदालत ने इसी तरह के विचार को दोहराया है।

18. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे पर कानून इस प्रभाव से स्पष्ट है कि जहां तक आपराधिक मामले का संबंध है, दीवानी अदालत द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्षों का कोई संबंध नहीं है और इसके विपरीत। सिविल में प्रमाण का मानक अलग होता है। और आपराधिक मामले। दीवानी मामलों में यह संभावनाओं की प्रधानता है।

जबकि आपराधिक मामलों में यह उचित संदेह से परे सबूत है। न तो कोई वैधानिक और न ही कोई कानूनी सिद्धांत है कि अदालत द्वारा दीवानी या आपराधिक कार्यवाही में दर्ज किए गए निष्कर्ष एक ही विषय वस्तु से निपटने के दौरान एक ही पक्ष के बीच बाध्यकारी होंगे और दोनों मामलों का निर्णय उसमें दिए गए साक्ष्य के आधार पर किया जाना है। हालांकि, ऐसे मामले हो सकते हैं जहां साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 41 से 43 के प्रावधान, बाद में पिछले निर्णयों की प्रासंगिकता से संबंधित हैं।

मामलों पर विचार किया जा सकता है।

इस विषय पर केस लॉ की समीक्षा को पूरा करने के लिए, हम अंत में कर सकते हैं

गुरु ग्रंथ साहब स्थान मीरघाट वनरस बनाम। वेद

एश, (2013) 7 एस. सी. सी. 622, जिसमें इस न्यायालय ने इस विषय पर ऑस केस लॉ को संदर्भित करने के बाद निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 17. के. जी. प्रेमशंकर [के. जी. प्रेमशंकर बनाम। के निरीक्षक

पुलिस, (2002) 8 एससीसी 87: 2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 223] उपरोक्त प्रावधानों (साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 से 43) का प्रभाव है व्यापक रूप से इस प्रकार नोट किया गया हैः (एस. सी. सी पी. 97, पैरा 30)

" 30. ..... (4) यदि आपराधिक मामला और दीवानी कार्यवाही एक ही कारण के लिए हैं, तो दीवानी अदालत का निर्णय प्रासंगिक होगा। यदि धारा 40 से 43 में से किसी की भी शर्त पूरी हो जाती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 41 में दिए गए प्रावधानों के अलावा यह निर्णायक होगी। धारा 41 में यह प्रावधान है कि कौन सा निर्णय

इसमें जो कहा गया है, वह उसका निर्णायक प्रमाण होगा। "

इसके अलावा, पिछली दीवानी कार्यवाही में पारित निर्णय, आदेश या डिक्री, यदि प्रासंगिक हो, जैसा कि धारा 40 और 42 के तहत प्रदान किया गया है या

साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों के बाद प्रत्येक मामले में अदालत को यह तय करना होता है कि वह उसमें तय किए गए मामलों के संबंध में किस हद तक बाध्यकारी या निर्णायक है। प्रत्येक मामले में पहला

जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता होगी, वह यह है कि क्या

निर्णय, आदेश या डिक्री प्रासंगिक है; यदि प्रासंगिक हो, तो इसका प्रभाव। यह

यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

18. उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में, यह तुरंत देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय आपराधिक मामले के निर्णय तक दीवानी मुकदमे में कार्यवाही पर रोक लगाने में बिल्कुल भी उचित नहीं था। सबसे पहले, क्योंकि भले ही दीवानी और आपराधिक अदालतों में परस्पर विरोधी निर्णयों की संभावना हो, ऐसी संभावना को एक प्रासंगिक विचार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। दूसरा, वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रतिवादियों (उत्तरदाता 1 से 4) के लिए किसी भी शर्मिंदगी की कोई संभावना नहीं है क्योंकि वे पहले ही लिखित याचिका दायर कर चुके हैं। दीवानी मुक़दमे में बयान और पक्षों की दलीलों के आधार पर मुद्दे तैयार किए गए हैं। मामले के इस दृष्टिकोण में, सिविल अदालत द्वारा जो परिणाम और/या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, वे आपराधिक मामले में 1 से 4 प्रत्यर्थियों के बचाव (ओं) को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगे।

कार्यवाही "।

16. उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, विपक्ष (उपर्युक्त) के अनुच्छेद 27 (vi) और बूज़ ऐलन (उपर्युक्त) के अनुच्छेद 36 (i) को अब इस बात के साथ पढ़ा जाना चाहिए कि तथ्यों के एक ही समूह से दीवानी प्रथम आपराधिक कार्यवाही हो सकती है और यदि यह स्पष्ट है कि किसी दीवानी विवाद में धोखाधड़ी, गलत निरूपण आदि के आरोप शामिल हैं जो अनुबंध अधिनियम की धारा 17 के तहत कार्यवाही का विषय हो सकता है, और/या अपकृत्य छल, केवल यह तथ्य कि उसी विषय के संबंध में आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है या की जा सकती है, इस भ्रम को जन्म नहीं देगा कि एक विवाद जो अन्यथा मध्यस्थ है, ऐसा होना बंद हो जाता है।

17. अनुबंध अधिनियम की धारा 17 "धोखाधड़ी" को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः

“ 17. " धोखाधड़ी "परिभाषित"। धोखाधड़ी का अर्थ है और इसमें निम्नलिखित में से कोई भी कार्य शामिल है जो किसी अनुबंध के लिए किसी पक्ष द्वारा, या उसकी मिलीभगत से, या उसके एजेंट द्वारा, किसी अन्य पक्ष या उसके एजेंट को धोखा देने के इरादे से, या उसे अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किया गया है।

एस. 238, इन्फ्रा।

(1) सुझाव, एक तथ्य के रूप में, जो सच नहीं है, उस व्यक्ति द्वारा जो

इसे सच नहीं मानता है;

(2) तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना।

(3) उसे पूरा करने के किसी भी इरादे के बिना किया गया वादा;

(4) धोखा देने के लिए उपयुक्त कोई अन्य कार्य;
(5) ऐसा कोई कार्य या चूक जिसे कानून विशेष रूप से घोषित करता है

धोखाधड़ी।

स्पष्टीकरण। किसी अनुबंध में प्रवेश करने के लिए किसी व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में केवल मौन रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियां ऐसी न हों कि उनके बारे में बात करने के लिए चुप रहना व्यक्ति का कर्तव्य है, या जब तक कि उसकी मौनता अपने आप में भाषण के बराबर न हो।

अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है कि सभी समझौते अनुबंध हैं यदि वे सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं

एक वैध विचार के लिए और एक वैध उद्देश्य के साथ अनुबंध, और इसके द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किया जाता है। धारा 14 में कहा गया है कि सहमति को तब मुक्त कहा जाता है जब यह धारा 17 में परिभाषित धोखाधड़ी के कारण नहीं होती है। महत्वपूर्ण रूप से, अनुभाग आगे कहता है कि सहमति तब दी गई है जब यह नहीं दी गई होगी, लेकिन इस तरह की धोखाधड़ी के अस्तित्व के लिए, अन्य बातों के साथ। जहाँ इस तरह की धोखाधड़ी साबित होती है, और किसी समझौते के लिए सहमति धोखाधड़ी के कारण होती है, तो अनुबंध उस पक्ष के विकल्प पर अमान्य है जिसकी सहमति इस कारण हुई थी। यह अनुबंध अधिनियम की धारा 19 द्वारा प्रदान किया गया है जो इस प्रकार हैः

" 19. स्वतंत्र सहमति के बिना समझौतों को रद्द करना। जब किसी समझौते के लिए सहमति जबरदस्ती, धोखाधड़ी या गलत प्रतिनिधित्व के कारण होती है, तो समझौता एक अनुबंध है जो उस पक्ष के विकल्प पर अमान्य है जिसकी सहमति इस कारण हुई थी।

किसी अनुबंध का एक पक्ष, जिसकी सहमति धोखाधड़ी या गलत निरूपण के कारण हुई थी, यदि वह उचित समझता है, तो अनुबंध पर जोर दे सकता है कि

निष्पादित किया जाएगा, और यह कि उसे उस स्थिति में रखा जाएगा जिसमें वह होता यदि किया गया अभ्यावेदन सच होता।

अपवाद। यदि ऐसी सहमति के कारण हुआ था

गलत निरूपण या मौन द्वारा, अर्थ के भीतर धोखाधड़ी

3 एस. 143, इन्फ्रा देखें।

AVITEL POST STUDIOZ LIMITED & ORS। वी. एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मौरिसियस) लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

धारा 17, अनुबंध, फिर भी, अमान्य नहीं है, अगर उस पक्ष के पास जिसकी सहमति इस तरह से की गई थी, का पता लगाने का साधन था

सामान्य परिश्रम के साथ सत्य। 4

स्पष्टीकरण। एक धोखाधड़ी या गलत निरूपण जो उस पक्ष के अनुबंध के लिए सहमति का कारण नहीं था जिसके साथ इस तरह की धोखाधड़ी की गई थी, या जिसके लिए ऐसी गलत प्रस्तुति की गई थी,

किसी अनुबंध को अमान्य नहीं करता है।

अनुबंध अधिनियम केवल तभी लागू होता है जब अनुबंध स्वयं धोखाधड़ी या धोखाधड़ी से प्राप्त किया जाता है। हालाँकि, धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त किए जा रहे अनुबंध और धोखाधड़ी या धोखाधड़ी द्वारा दूषित किए जा रहे अनुबंध (जो पूरी तरह से वैध है) के प्रदर्शन के बीच एक अंतर किया जाता है। उत्तरार्द्ध अनुबंध अधिनियम की धारा 17 से बाहर होगा, जिसमें नुकसान का उपचार उपलब्ध होगा, लेकिन अनुबंध को स्वयं उपचार के रूप में नहीं माना जाएगा। शून्य (पीपी देखें। 311-312) . यही कारण है कि "किसी अन्य पक्ष या उसके एजेंट को धोखा देने के इरादे से" शब्दों को इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए।

शब्द "या उसे अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए", अनुबंध के गठन के संबंध में बोलने वाली अभिव्यक्तियों के दोनों सेट।

यह धारा 10,14 और 19 द्वारा आगे स्पष्ट किया गया है, जिन्हें पहले ही ऊपर संदर्भित किया जा चुका है, ये सभी अनुबंध में प्रवेश करने के चरण में "धोखाधड़ी" से संबंधित हैं। यहां तक कि धारा 17 (5) जो "किसी ऐसे कार्य या चूक की बात करती है जैसा कि कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी से संबंधित है" का अर्थ अनुबंध में प्रवेश करने के चरण में ऐसे कानून के तहत ऐसा कार्य या चूक होना चाहिए। इस प्रकार, अनुबंध अधिनियम की धारा 17 के बाहर जो धोखाधड़ी की जाती है, यानी अनुबंध के प्रदर्शन में, वह धोखाधड़ी के अत्याचार द्वारा नियंत्रित हो सकती है, जिससे नुकसान होगा, लेकिन अनुबंध को रद्द नहीं किया जाएगा। 5 4 यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 19 में अपवाद धोखाधड़ी से गलत तरीके से प्रस्तुत करने पर लागू नहीं होता है क्योंकि "मौन" शब्द अकेले "धोखाधड़ी" शब्द के साथ जाते हैं, इस प्रकार धोखाधड़ी से गलत तरीके से प्रस्तुत करने के मामलों पर लागू नहीं होते हैं। जॉन मिनास अपकार बनाम। लुई केयर्ड मालचस, ए. आई. आर. 1939 कैल 473, डर्बीशायर, सी. जे. और लॉर्ट विलियम्स, जे. के समवर्ती निर्णयों ने अनुबंध अधिनियम, 6 वें संस्करण पर अपने काम में सर फ्रेडरिक पोलक और सर दिनशाह मुल्ला के एक अंश का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया थाः

" यह देखा जाएगा कि अपवाद सक्रिय धोखाधड़ी के मामलों पर लागू नहीं होता है जैसा कि गलत निरूपण से अलग है जो धोखाधड़ी नहीं है। (पीपी देखें। 476-477) 5 त्रिपुरा राज्य में v. पूर्वी बंगाल प्रांत, भारत संघ, 1951 एस. सी. आर. 1, एक अलग सहमति वाले फैसले में, मुखर्जी, जे. ने अंग्रेजी कानून में एक अपकृत्य के रूप में माना जाता था (पीपी देखें। 44-49) . विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार निष्कर्ष निकालाः

0] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18. दोनों प्रकार की धोखाधड़ी को "धोखाधड़ी" अभिव्यक्ति के भीतर शामिल किया जाता है जब यह एक समझौते की मध्यस्थता की बात आती है जिसमें एक शामिल है

मध्यस्थता खंड।

19. अब, धोखाधड़ी के लिए नुकसान के उपाय के बारे में

गलत निरूपण जिसके द्वारा अनुबंध के एक पक्ष को अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्मिथ न्यू कोर्ट सिक्योरिटीज लिमिटेड बनाम। स्क्रिमगेर विकर्स (एसेट मैनेजमेंट) लिमिटेड, [1996] 4 ऑल ई. आर. 769, अपीलार्थी, स्मिथ न्यू कोर्ट ["एस. एम. सी".] ने एक कंपनी में शेयर खरीदे, फेरान्टी इंटरनेशनल सिग्नल इंक. ["एफ. इंक".], जिसे बैंक द्वारा एक ग्राहक को दिए गए ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में एक बैंक को गिरवी रखा गया था। एस. एम. सी. को यह धारणा दी गई थी कि वह शेयरों के लिए दो अन्य बोलीदाताओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था और इसलिए, शेयरों के लिए बहुत अधिक कीमत पर बोली लगा रहा था। जब एक बड़ी धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप शेयर की कीमत गिर गई, तो एस. एम. सी. ने इसकी खरीद की परिस्थितियों की जांच की और पाया कि बिक्री के समय दो अन्य बोलीदाता वहां नहीं थे। एस. एम. सी. ने तब पहले प्रतिवादी, स्क्रिमगियर विकर्स (एसेट मैनेजमेंट) लिमिटेड और बैंक के खिलाफ धोखाधड़ीपूर्ण गलत निरूपण के लिए हर्जाने का दावा करते हुए कार्यवाही की। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डॉयल बनाम में प्रमुख निर्णय का उल्लेख किया। ओल्बी (आयरनमोंगर्स) लिमिटेड, [1969] 2 ऑल ई. आर. 119 (क्वींस बेंच) ["डॉयल"], और अभिनिर्धारित कियाः

" डॉयल वी. ओल्बी (आयरनमोंगर्स) लिमिटेड चार अंक स्थापित करता है। सबसे पहले,

कि नुकसान का माप जहाँ एक अनुबंध प्रेरित किया गया है धोखाधड़ी से गलत तरीके से प्रस्तुत करना सभी वास्तविक के लिए क्षतिपूर्ति है।

में प्रवेश करने से सीधे बहने वाली क्षति (यानी इसके कारण) लेन-देन। दूसरा, कि इस तरह के नुकसान का आकलन करने में यह एक नहीं है

" इस प्रकार अपकृत्य अनुबंध के उल्लंघन के अलावा एक नागरिक चोट है जो कानून की अदालत में बिना किसी नुकसान के लिए कार्रवाई को बनाए रखने में सक्षम है। यदि उचित उपाय बिना किसी नुकसान के लिए दावा नहीं है, बल्कि निषेधाज्ञा या किसी अन्य राहत के लिए है, तो यह एक अपकृत्य के रूप में दर्ज नहीं किया जाएगा, हालांकि यह एक कार्रवाई योग्य गलत होगा। (पी पर। 48) इसी तरह, एलरमैन एंड बकनाल स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड v. शा मिसरीमल भेराजी, [1966] पूरक एस. सी. आर. 92, न्यायालय ने छल के अत्याचार को निम्नानुसार संदर्भित कियाः

" छल एक व्यक्ति द्वारा जानबूझकर या लापरवाही से इस इरादे से किए गए तथ्य का एक झूठा बयान है कि उस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कार्रवाई की जाएगी जो उस पर कार्रवाई करता है और जिससे नुकसान होता है "; विनफील्ड द्वारा टॉर्ट के कानून की एक पाठ्यपुस्तक, 5 वीं संस्करण देखें। , पी पर। 379. " (पी पर। 99)

तथ्यों पर, यह निष्कर्ष निकाला गयाः " आइए अब हम वर्तमान मामले के प्रासंगिक तथ्यों को देखें। यह विक्रेता और खरीदार के बीच अनुबंध की शर्तों में से एक थी कि माल को नए फाइबर ड्रम में पैक किया जाना चाहिए। पैकेज के अच्छे क्रम और स्थिति के मानक पर एविटेल पोस्ट स्टडीज लिमिटेड और ओआरएस द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।

निर्णयों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके आधार पर नुकसान गणना से पता चलता है कि ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें

यह उचित है कि प्रतिवादी को केवल ध्यान में रखने की आवश्यकता हो

परिसंपत्ति की वास्तविक आय बशर्ते कि उसने उचित रूप से कार्य किया हो

इसे बनाए रखने के लिए। तीसरा, छल के लिए नुकसान केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है

जो उचित रूप से पूर्वानुमेय थे। चौथा, नुकसान

वसूली योग्य में इसके कारण हुए परिणामी नुकसान शामिल हो सकते हैं - संपत्ति हासिल कर ली है "।

(पी पर। 777)

लॉर्ड ब्राउन-विल्किंसन के इस निर्णय में, एक उपयोगी सारांश

देय क्षति का आकलन करने में लागू होने वाले सिद्धांत जहां वादी को धोखाधड़ी से गलत तरीके से प्रस्तुत करके अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया गया है, निम्नानुसार बताए गए हैं:

लेन-देन से सीधे प्रवाहित होना;
(2) हालाँकि इस तरह की क्षति का पूर्वानुमेय होने की आवश्यकता नहीं है, यह आवश्यक है

लेन-देन सीधे तौर पर हुआ है;

(3) इस तरह के नुकसान का आकलन करने में, वादी द्वारा वसूली का हकदार है उसके द्वारा भुगतान की गई पूरी कीमत को नुकसान पहुँचाने का तरीका, लेकिन उसे श्रेय देना होगा

लेन-देन के परिणामस्वरूप प्राप्त किसी भी लाभ के लिए;

(4) एक सामान्य नियम के रूप में, उसके द्वारा प्राप्त लाभों में शामिल हैं -

अधिग्रहण की तारीख को अर्जित संपत्ति का बाजार मूल्य;

लेकिन इस तरह के सामान्य नियम को कठोरता से लागू नहीं किया जाना चाहिए।

अनुबंध के पक्षकार। जहाज के मालिक उस शर्त को जानते थे क्योंकि साथी की रसीद ने उसी का खुलासा किया था। यदि लदान के बिल में ड्रम का उल्लेख उतना ही पुराना किया गया होता, तो उक्त बिल एक साफ बिल नहीं होता। हालांकि ड्रमों की स्पष्ट स्थिति पुरानी थी, जहाज के मालिकों ने दावा किया कि वे पुराने ड्रम नहीं थे, यानी उन्होंने एक साफ नोट दिया। यह प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से विक्रेता के साथ मिलीभगत में किया गया था, ताकि वह बैंक के साथ क्रेडिट पर काम कर सके। यह मिलीभगत विक्रेता से कथित अभ्यावेदन के परिणामों से खुद को बचाने के लिए लिए गए क्षतिपूर्ति बांड से भी स्पष्ट है। छल के सभी तत्व मौजूद हैं। (पी पर। 102)

उसे गलत के लिए पूरा मुआवजा प्राप्त करने से रोकेगा

पीड़ित;

लागू करें जहां (ए) गलत निरूपण जारी है परिसंपत्ति के अधिग्रहण की तारीख के बाद कार्य करना ताकि

वादी को संपत्ति को बनाए रखने के लिए प्रेरित करें या (बी) की परिस्थितियाँ

मामला ऐसा है कि वादी धोखाधड़ी के कारण,

संपत्ति में बंद।

(6) इसके अलावा, वादी परिणामी वसूली का हकदार है।

लेन-देन के कारण नुकसान;

(7) वादी को अपने नुकसान को कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाने चाहिए। एक बार जब उसे धोखाधड़ी का पता चल जाता है। "

(पीपी में। 778-779)

इसी तरह, उसी फैसले में लॉर्ड स्टेन, का उल्लेख करने के बाद

डॉयल [ऊपर] में नल निर्णय ने कानून को इस प्रकार कहाः

" डॉयल बनाम में निर्णय का तर्क। ओल्बी (आयरनमोंगर्स) लिमिटेड निम्नलिखित प्रस्तावों को उचित ठहराता है।

(1) छल के लिए एक कार्रवाई में वादी होने का हकदार नहीं है

संविदात्मक उपाय के अनुसार क्षतिपूर्ति की गई

हानि, अर्थात सौदे के उपाय का लाभ। वह हकदार नहीं है।

सौदे में उसके सकारात्मक हित के संबंध में संरक्षित किया जाना।

(2) हालाँकि, छल के लिए एक कार्रवाई में वादी होने का हकदार है

उसके नकारात्मक ब्याज के संबंध में क्षतिपूर्ति की गई। रखने का उद्देश्य है

वादी उस पद पर होता जिसमें वह होता अगर कोई गलत नहीं होता प्रतिनिधित्व किया गया था।

(3) दोनों उपायों के बीच व्यावहारिक अंतर स्पष्ट रूप से था

डॉयल बनाम पर एक समकालीन केस नोट में समझाया गया। ओल्बी (आयरनमोंगर्स) लिमिटेड : जी. एच. ट्रेइटेल, "डेमेज फॉर डेसिट" (1969)

32 एम. एल. आर. 556,558-559। लेखक ने कहाः

" अगर वादी का सौदा बुरा होता, तो भी

यह धारणा कि प्रतिनिधित्व सही था, वह करेगा

यातनापूर्ण उपाय के तहत सबसे अच्छा। यदि, इस धारणा पर कि प्रतिनिधित्व सही था, उनका सौदा अच्छा होता

एक, वह पहले संविदात्मक उपाय (एविटेल पोस्ट स्टडीज लिमिटेड एंड ओआरएस के तहत) के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा।

जिसका वास्तविक मूल्य होने पर भी वह कुछ वसूल कर सकता है।

उन्होंने जो बरामद किया है वह कीमत से अधिक है)।

(4) अपकृत्य उपाय पर ध्यान केंद्रित करते हुए, दूरस्थता परीक्षण करता है कि क्या

नुकसान उचित रूप से पूर्वानुमेय था जिसे आधिकारिक रूप से रखा गया था लापरवाही के अत्याचार के संबंध में वैगन टीले में नीचे

डॉयल बनाम से कुछ साल पहले। ओल्बी (आयरनमोंगर्स) लिमिटेड तय कियाः ओवरसीज टैंकशिप (यू. के.) लिमिटेड बनाम मॉट्र्स डॉक &

इंजीनियरिंग कं. लिमिटेड (द वैगन माउंड) [1961] ए. सी.

388. डॉयल वी. ओल्बी (आयरनमोंगर्स) लिमिटेड ने तय किया कि एक व्यापक परीक्षण

छल के लिए एक कार्रवाई में लागू होता है। (5) तीनों निर्णयों में निर्देश, साथ ही वास्तविक गणना

डॉयल बनाम में नुकसान का। ओल्बी (आयरनमोंगर्स) लिमिटेड, स्पष्ट करते हैं कि धोखाधड़ी का शिकार सभी के लिए मुआवजे का हकदार है

द्वारा प्रेरित लेन-देन से सीधे बहने वाला वास्तविक नुकसान

अनुच्छेद मूल्यांकन की किसी भी प्रक्रिया से बंधा नहीं है लेन-देन। यह पूरी तरह से ओवरराइडिंग क्षतिपूर्ति पर आधारित है।

सिद्धांत, धोखाधड़ी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रत्यक्ष रूप से व्यापक किया गया

परिणाम। कानूनी उपाय स्थिति की तुलना करना है

वादी जैसा कि धोखाधड़ी वाला बयान दिए जाने से पहले था उसे अपनी स्थिति के साथ जैसा कि यह उसकी निर्भरता के परिणामस्वरूप बन गया

धोखाधड़ी वाला बयान "।

(पी

पर। 792)

"लेन-देन नियम की तारीख" शीर्षक वाले एक महत्वपूर्ण अंश में, लॉर्ड

इस बात पर जोर दिया कि धोखाधड़ी के गलत प्रतिनिधित्व के मामलों में, वहाँ है

एक और नुकसान के दो वैकल्पिक उपाय, अर्थात्, नुकसान

प्रभावित पक्ष द्वारा पीड़ित जिसे उसी में वापस रखा जाना चाहिए

मानो उसने कभी लेन-देन में प्रवेश नहीं किया हो। एक कार्रवाई में

टी, लेन-देन की तारीख पर मूल्यांकन से कम भुगतान की गई कीमत केवल इस तरह के नुकसान को मापने के लिए है, लेकिन मूल के लिए एक विकल्प नहीं है यह सम्मानपूर्वक निम्नानुसार कहा गया थाः

" लेन-देन नियम की तिथि

यह मुझे तारीख के कारण होने वाली कथित कठिनाई पर लाता है

लेन-देन नियम। अपील न्यायालय [1994] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1271,

1283 जी, वाडेल वी में नियम की कठोरता को संदर्भित करता है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ब्लॉकी (1879) 4 क्यू. बी. डी. 678, जिसमें बिक्री की तारीख के अनुसार नुकसान की गणना करने की आवश्यकता होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दृष्टिकोण अपील न्यायालय के समक्ष तर्कों के आकार से प्रभावित था जो

केंद्रीय मुद्दे को वास्तव में एक मूल्यांकन अभ्यास माना जाता है। यह सही है कि छल के कारण होने वाले नुकसान की गणना करने का सामान्य तरीका बिक्री के विषय वस्तु के वास्तविक मूल्य से कम भुगतान की गई कीमत है। जिस हद तक यह विधि अपनाई जाती है, मूल्यांकन की तारीख का चयन आवश्यक है। और आम तौर पर लेन-देन की तारीख अपनाने के लिए एक व्यावहारिक और उचित तारीख होगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। यह केवल प्रथम दृष्टया सही तारीख है। बाद की तारीख चुनना उचित हो सकता है। इस तथ्य से पता चलता है कि मूल्यांकन विधि केवल प्रबलित प्रतिपूरक नियम को प्रभावी बनाने का प्रयास करने का एक साधन हैः पॉट्स वी। मिलर, 64 सी. एल. आर. 282,299, प्रति डिक्सन जे. और काउंटी कार्मिक (रोजगार एजेंसी) लिमिटेड बनाम। एलन आर. पल्वर एंड कंपनी [1987] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 916,925 -

926 , प्रति बिंघम एल. जे. इसके अलावा, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लेन-देन की तारीख का नियम केवल दूसरे आदेश का नियम है जो केवल लागू होता है। जहाँ मूल्यांकन विधि का उपयोग किया जाता है। यदि वह विधि अनुचित है, तो न्यायालय लेनदेन की तारीख या वास्तव में किसी विशेष तिथि के किसी भी संदर्भ के बिना सीधे लेनदेन से होने वाले नुकसान का आकलन करने का हकदार है। जब भी ओवरराइडिंग कम्पेन्सेटरी नियम की आवश्यकता होगी, इस तरह का पाठ्यक्रम उपयुक्त होगा। इस तरह के मामले का एक उदाहरण केम्प प्रॉपर्टीज (यू. के.) लिमिटेड बनाम में पाया जा सकता है। डेंटस्ली अनुसंधान और विकास

प्रतिवादियों के धोखाधड़ी वाले अभ्यावेदन के प्रलोभन के तहत स्थिति के परिवर्तन से सीधे बहने वाले वित्तीय नुकसान का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि। इलाज की लागत या मूल्य में अंतर के आधार पर संविदात्मक दावे में नुकसान के मूल्यांकन की समानता दिमाग में आती है। रक्सले इलेक्ट्रॉनिक्स और कंस्ट्रक्शन लिमिटेड v. फोर्सिथ [1996] ए. सी. 344,360 जी, लॉर्ड मस्टिल ने कहाः नुकसान के दो वैकल्पिक उपाय नहीं हैं, क्योंकि

विपरीत ध्रुव, लेकिन केवल एक; अर्थात्, नुकसान वास्तव में वादा करने वाले को भुगतना पड़ा। छल के लिए एक कार्रवाई में कम भुगतान की गई कीमत लेनदेन की तारीख पर मूल्यांकन केवल नुकसान को मापने का एक तरीका है जो कई मामलों को संतोषजनक रूप से हल करेगा। यह एकल कानूनी उपाय का विकल्प नहीं हैः यह इसका एक अनुप्रयोग है "।

(पीपी में। 793-

794)

20. इस स्तर पर, यह पता लगाने के लिए कि क्या वर्तमान धारा 9 में एच. एस. बी. सी. के पक्ष में एक मजबूत प्रत्यक्ष मामला बनाया गया है, यह आवश्यक है कि विदेशी अंतिम पुरस्कार दिनांकित किया जाए।. 2014 . इस मामले में विदेशी अंतिम निर्णय, एच. एस. बी. सी. (मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष दावेदार) और भारत और जैन परिवार (मध्यस्थता के समक्ष प्रत्यर्थियों) के मामले को स्थापित करने के बाद।

नल) ने निर्धारण के लिए मुद्दों को इस प्रकार निर्धारित कियाः

निर्धारण के लिए मुद्दे 4.8 इस पृष्ठभूमि में, न्यायाधिकरण का मानना है कि निर्धारण के लिए मुद्दे इस प्रकार हैंः

आई. क्या किसी उत्तरदाता ने एविटेल इंडिया में दावेदार के निवेश से पहले दावेदार को अभ्यावेदन और/या वारंटी दी है और यदि हां, तो ये अभ्यावेदन क्या थे और/या

वारंटी; ii. यदि ऐसा है, तो क्या उत्तरदाताओं ने दावेदार को एविटेल इंडिया में निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए अभ्यावेदन और/या वारंटी दी थी;

iii. यदि ऐसा है, तो क्या दावेदार इस तरह से प्रेरित था और क्या वह इस पर निर्भर था

उत्तरदाताओं के प्रतिनिधित्व और/या वारंटी;

iv. यदि ऐसा है, तो क्या इनमें से कोई अभ्यावेदन और/या वारंटी थी?

असत्य;

वी. यदि हां, तो क्या उत्तरदाताओं में से किसी ने यह जानते हुए ऐसे अभ्यावेदन और/या वारंटी दिए हैं कि ये झूठे थे और/या उनकी सच्चाई में विश्वास के बिना, या लापरवाही से और इस बात की परवाह किए बिना कि ये अभ्यावेदन और/या वारंटी सच थे या गलत;

vi. यदि ऐसा है, तो क्या उत्तरदाताओं में से कोई भी दावेदार के उत्पीड़न के लिए उत्तरदायी है?

छल के लिए;

vii. यदि ऐसा है, तो क्या कोई भी उत्तरदाता दावेदार के प्रति उत्तरदायी है

प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार धोखाधड़ीपूर्ण गलत निरूपण

अनुबंध अधिनियम; viii. यदि ऐसा है, तो क्या दावेदार अनुबंध अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार धोखाधड़ीपूर्ण गलत निरूपण के लिए हर्जाने का हकदार है;

ix. यदि ऐसा है, तो क्या कोई भी उत्तरदाता दावेदार के लिए उत्तरदायी है

वारंटी का उल्लंघन; 10 एस. सी. आर.

x. यदि ऐसा है, तो क्या उत्तरदाताओं में से कोई भी दावेदार को क्षतिपूर्ति करेगा?

दावेदार के किसी भी दावे का सम्मान;

xi. यदि दावेदार हर्जाने का दावा करने का हकदार है, तो राशि क्या है?

दावा करने वाला नुकसान का हकदार है;

xiii. क्या दावेदार मांगी गई राहत का हकदार है; xiv. लागत;

xv. क्या एविटेल इंडिया में दावेदार के शेयर रद्द किए जाने हैं और यदि

इन मुद्दों का जवाब देते हुए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पाया किः " 7.14 न्यायाधिकरण अतिरिक्त रूप से दावेदार के निवेदन को स्वीकार करता है और पाता है कि दावेदार उत्तरदाताओं के आगे के अभ्यावेदनों से प्रेरित था और उस पर भरोसा करता था कि, अन्य बातों के साथ-साथ, एविटेल समूह का स्वतंत्र और वैध ग्राहकों के साथ लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ तत्काल व्यवसाय था और साथ ही साथ स्वतंत्र और वैध आपूर्तिकर्ताओं के साथ अच्छे संबंध थे और

सेवा प्रदाता (पैराग्राफ 5.2 (i) (1), 5,17 (a. xv) देखें और 5.17 (a.xvi) ऊपर)।

7.15 न्यायाधिकरण प्रत्यर्थियों के निवेदन को खारिज कर देता है और पाता है कि एसएसए का खंड 6.3 स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि दावेदार ने एविटेल इंडिया में अपना निवेश करने में अभ्यावेदन और वारंटी पर भरोसा किया।

इसने आगे पाया कि जैन परिवार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनियों में 60 मिलियन डॉलर की राशि के एक बड़े हिस्से की हेराफेरी इस प्रकार हैः

" 8.20 दावेदार समर्थन में, अन्य बातों के साथ-साथ, गवाह पर निर्भर करता है

श्री वैन शाल्कविक, एच. एस. बी. सी. मिडिल ईस्ट लिमिटेड के साक्ष्य धोखाधड़ी जोखिम के क्षेत्रीय प्रमुख, जिन्होंने एक जांच की

संयुक्त अरब अमीरात में जैन परिवार की बैंकिंग गतिविधियों में। इस जांच ने निम्नलिखित धन के प्रवाह को स्थापित कियाः

दावेदार का निवेश [श्री वैन का गवाह वक्तव्य]

शाल्कविक, पैरा में। 9] संक्षेप में इस प्रकार हैः

(i) 10 मई 2011 को, 60,000 अमेरिकी डॉलर की राशि, 000.00 एविटेल दुबई (अमीरात NDB खाता संख्या 744859021001) को प्राप्त हुई थी।

AVITEL POST STUDIOZ LIMITED & ORS। वी. एच. एस. बी. सी. पी. आई. ओ. एल्डिंग्स (मौरिस) लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(" एविटेल दुबई खाता ") एविटेल मॉरीशस से। यह दावेदार के प्रारंभिक निवेश का प्रतिनिधित्व करता है [पैरा में श्री वैन शाल्कविक का गवाह वक्तव्य। 17 (ए)]। श्री वैन शाल्कविक 1 मई 2011 से 23 सितंबर के बीच की अवधि के लिए एविटेल दुबई खाते के एक बयान से इस जानकारी का पता लगाने में सक्षम थे।

2011 एच. एस. बी. सी. के श्री डेरेक विल्डे द्वारा उन्हें कौन सा बयान प्रदान किया गया था [इस बयान की एक प्रति आर. वी. एस.-I पीपी में श्री वैन शाल्कविक के गवाह बयान में प्रदर्शित की गई है। 2 3 तक];

(ii) इसके बाद एविटेल दुबई द्वारा भुगतान की एक श्रृंखला निम्नानुसार की गई:

ए। 15 मई 2011 को एविटेल दुबई खाते से 60 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि डेबिट की गई थी और कौन सी राशि जमा की गई थी

हिगेंड के नाम पर रखे गए अमीरात एनबीडी खाते में।

इसके बाद हिगेंड के बैंक खाते से कई विविध खातों में कई छोटे-छोटे हस्तांतरण किए गए। 17 (ख) (i)];

बी। 23 मई 2011 को, एविटेल दुबई खाते से यू. एस. डी. <आई. डी. 1 मिलियन की राशि में डेबिट किया गया था और कौन सी राशि थी

हिगेंड के नाम पर रखे गए उसी अमीरात एन. बी. डी. खाते में जमा किया जाता है। यह राशि बदले में 30 मई 2011 को एविटेल लिमिटेड के रूप में पहचानी गई एक इकाई को हस्तांतरित की गई थी, जिसका पूर्ण लाभकारी स्वामित्व श्री वैन शाल्कविक पुष्टि नहीं कर पाए हैं। [श्री वैन शाल्कविक का गवाह वक्तव्य, पैरा में। 17 (ख) (ii)];

सी। 9 जून 2011 को एविटेल दुबई खाते से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि डेबिट की गई थी, जिसे बाद में जमा किया गया था।

एक अलग अमीरात एन. बी. डी. बैंक खाता जो इसमें भी रखा जाता है। सर्वोच्च का नाम। 27 जुलाई 2011 को यह राशि थी

डिजिटल फ्यूजन के नाम से एक और अमीरात एनबीडी खाते में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद यह राशि क्राल्टन कैपिटल कमर्शियल ब्रोकर सर्विसेज एल. एल. सी. ("क्राल्टन") को हस्तांतरित कर दी गई।

ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक दलाली और निवेश कंपनी है [गवाह]

श्री वैन शाल्कविक का वक्तव्य, पैरा में। 17 (ख) (iii)] संबंध में

श्री वैन शाल्कविक, एफ. एन. में। 9] ; डी। 13 जून 2011 और 14 जून 2011 को, एविटेल दुबई खाता

10 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 5 अमेरिकी डॉलर की राशि में डेबिट किया गया था

जो राशि क्रमशः एमिरेट्स [2020] 10 एस. सी. आर. को जमा की गई थी।

डिजिटल फ्यूजन के नाम पर रखा गया एन. बी. डी. खाता। 19 जुलाई 2011 और 26 जुलाई 2011 को, डिजिटल फ्यूजन के खाते से क्रमशः 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि डेबिट की गई थी, जो राशि क्राल्टन के नाम से आयोजित अमीरात एनबीडी खाते में जमा की गई थी। एमिरेट्स एन. बी. डी. के साथ क्राल्टन के खाते के रिकॉर्ड से पता चलता है कि जुलाई 2011 में कुल 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हस्तांतरण का उपयोग क्राल्टन, हिगेंड, डिजिटल फ्यूजन और एस. पी. ए. सी. के बीच विभिन्न हस्तांतरण, निश्चित अवधि जमा और निवेश करने के लिए किया गया था।

शाल्कविक, पैरा में। 17 (ख) (iv)];

ई. 23 फरवरी 2012 को, एविटेल दुबई खाते से 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि डेबिट की गई थी, जो राशि हिगेंड के नाम पर रखे गए अमीरात एनबीडी खाते में जमा की गई थी। 28 फरवरी 2012 को, इस खाते से 74.8 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि डेबिट की गई थी, जिसे एक अलग अमीरात में जमा किया गया था। एस. पी. ए. सी. के नाम पर रखा गया एन. बी. डी. खाता। 28 फरवरी 2012 को 500,000 अमेरिकी डॉलर की राशि में एक और डेबिट हुआ, जो राशि दो अलग-अलग अमीरात एनबीडी खातों के माध्यम से भेजी गई थी, एक देजावू एफजेड-एलएलसी के नाम पर और एक अल जालोर ट्रेडिंग एफजेडई के नाम पर, इससे पहले कि यह राशि अंततः दुबई मल्टी कमोडिटीज सेंटर इकाई, एमराल्ड को जमा की गई थी।

डी. एम. सी. सी. [श्री वैन शाल्कविक का गवाह वक्तव्य,

पैरा। 17 (बी) (वी)];

एफ. श्री वैन शाल्कविक समझते हैं कि 18 अप्रैल 2012 और 29 अप्रैल 2012 के बीच, एविटेल दुबई खाते से 85 लाख अमेरिकी डॉलर का एक और हस्तांतरण हुआ था। हालाँकि, वह यह पता लगाने में असमर्थ रहे हैं कि ये धन किस खाते (खातों) में स्थानांतरित किए गए हैं [श्री वैन शाल्कविक का गवाह वक्तव्य, एट पैरा। 18] . "

तब पाया गया कि निम्नलिखित स्वीकृत तथ्यों से पता चलता है कि उन्होंने अवितेल समूह और जैन परिवार द्वारा किए गए अभ्यावेदन किए थे

सी इसमें गलत थाः

3.70 न्यायाधिकरण ने नोट किया कि उत्तरदाताओं ने निम्नलिखित की सटीकता से इनकार नहीं किया हैः

ए। एविटेल समूह का इसके साथ सीधा संबंध नहीं था

बी. बी. सी. और बी. बी. सी. अनुबंध; आई. टी. ई. एल. पोस्ट स्टूडियो लिमिटेड एंड ओ. आर. एस. पर हस्ताक्षर करने के करीब नहीं था।

वी. एच. एस. बी. सी. पी. आई. डिंग्स (मौरिसियस) लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बी। एविटेल दुबई के कार्यालय कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए थे।

सी। श्री सिद्धार्थ जैन उस समय हिगेंड के साथ-साथ डिजिटल फ्यूजन में भी उनतालीस प्रतिशत शेयरधारक थे।

डी। श्री सिद्धार्थ जैन एकमात्र हस्ताक्षरकर्ता हैं और इसलिए हिगेंड और डिजिटल फ्यूजन के बैंक खातों को नियंत्रित करते हैं।

अमीरात एनबीडी;

ई. श्री सिद्धार्थ जैन सह-हस्ताक्षरकर्ता थे (एक के साथ)

एमिरेट्स एन. डी. बी. में एस. पी. ए. सी. के बैंक खातों के श्री अंकित गर्ग); एफ. किंडेन 12 अक्टूबर 2010 और 2010 के बीच अस्तित्व में नहीं था।

26 अक्टूबर 2011;

एमिरेट्स एन. डी. बी. में क्राल्टन के बैंक खाते; एच. पर्पल पैशन, जिसका पूर्ण स्वामित्व श्री सिद्धार्थ के पास था

जैन, 23 नवंबर 2010 को भंग कर दिया गया था; आई. कुल मिलाकर, दावेदार के 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश में से 60 लाख अमेरिकी डॉलर एविटेल दुबई के बैंक खातों से और बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश जैन परिवार द्वारा नियंत्रित हैं।

जे. किंडेन, एस. पी. ए. सी., हाईजेंड और डिजिटल के लिए डोमेन नाम

फ्यूजन श्री ऋषि जैन द्वारा पंजीकृत किया गया था;

के. 28 जनवरी 2012 को किंडेन, एस. पी. ए. सी., हाईजेंड और डिजिटल फ्यूजन की वेबसाइटों को होस्टिंग साइट "रेडिफिनालप्रो" से स्थानांतरित कर दिया गया था। com "to" rirev. com ", वही होस्टिंग साइट जो 28 जून 2011 से एविटेल दुबई द्वारा उपयोग किया जा रहा था। इसके बाद प्रत्येक वेबसाइट को "डोमेन बाय प्रॉक्सी, एल. एल. सी". नामक एक प्रॉक्सी सेवा का उपयोग करके फिर से पंजीकृत किया गया, जो गुमनामी प्रदान करती है।

इंटरनेट पर वेबसाइटों के मालिकों को "।

3.72 इन परिस्थितियों में और निर्धारित कारणों के लिए भी न्यायाधिकरण दावेदार की दलीलों को स्वीकार करता है और पाता है किपक्ष प्रतिनिधित्व और/या उत्तरदाताओं द्वारा की गई वारंटी

से और/या गुमराह करनाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए। एविटेल समूह बी. बी. सी. के साथ अग्रिम बातचीत कर रहा था और बी. बी. सी. अनुबंध निष्पादन के करीब था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तरदाता इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि एविटेल समूह का कभी भी बी. बी. सी. के साथ सीधा संबंध नहीं था और वह बी. बी. सी. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाला नहीं था।

क्योंकि वास्तव में, दावेदार के निवेश के समय किंडेन और पर्पल पैशन अस्तित्व में नहीं थे; सी। समाप्ति तिथि पर, एविटेल समूह के प्रमुख ग्राहक किंडेन, एस. पी. ए. सी. और पर्पल पैशन के साथ-साथ एविटेल दुबई के प्रमुख आपूर्तिकर्ता, हाईजेंड और प्रमुख सेवा प्रदाता, डिजिटल फ्यूजन, सभी स्वतंत्र और वैध कंपनियां थीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वास्तव में, दावेदार के निवेश के समय किंडेन और पर्पल पैशन अस्तित्व में नहीं था और श्री सिद्धार्थ जैन हिगेंड के शेयरधारक और/या एकमात्र हस्ताक्षरकर्ता थे।

और एमिरेट्स एन. डी. बी. के साथ डिजिटल फ्यूजन के बैंक खाते और एमिरेट्स एन. डी. बी. के साथ एस. पी. ए. सी. के बैंक खातों में सह-हस्ताक्षरकर्ता भी थे। इसके अलावा, अमीरात एन. डी. बी. के साथ हिगेंड, डिजिटल फ्यूजन, एस. पी. ए. सी. और क्राल्टन के विभिन्न बैंक खातों से और उनके बीच लेनदेन के जटिल जाल के आलोक में (ऊपर पैराग्राफ 8.20 देखें), न्यायाधिकरण दावेदार की इस दलील को स्वीकार करता है कि इनमें से कोई भी संस्था स्वतंत्र और वैध कंपनी नहीं थी। जहाँ तक श्री वैन शाल्कविक के साक्ष्य का संबंध है, क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो श्री वैन शाल्कविक के साक्ष्य की सत्यता और विश्वसनीयता को चुनौती दे, इसलिए न्यायाधिकरण को उनके साक्ष्य की अवहेलना करने का कोई कारण नहीं दिखता है। न्यायाधिकरण के विचार में वह एक विश्वसनीय गवाह है।

डी। दावेदार के निवेश की आवश्यकता थी और इसका उपयोग उपकरण खरीदने के लिए किया जाना था ताकि एविटेल दुबई को सक्षम किया जा सके

बीबीसी कॉन्ट्रैक्ट की सेवा करें। उपर्युक्त पैरा 8.68 में निर्दिष्ट परिस्थितियों के आलोक में, न्यायाधिकरण दावेदार की इस दलील को स्वीकार करता है कि उत्तरदाताओं द्वारा उसके निवेश का गबन किया गया है।

ई. खंड में निहित अभ्यावेदन और/या वारंटी

6.2. 1 एस. एस. ए. के लिए क्योंकि बातचीत से पहले और उसके दौरान दावेदार को प्रदान की गई जानकारी और आई. टी. ई. एल. पोस्ट स्टडीज लिमिटेड और ओ. आर. एस.

एसएसए की तैयारी उत्तरदाताओं और उनके/या उनके प्रतिनिधियों और सलाहकारों द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। सद्भावना और ऊपर पैराग्राफ 8.72 (ए) से (डी) में निर्धारित कारणों के लिए असत्य, गलत और भ्रामक थे;

एफ. खंड में निहित अभ्यावेदन और/या वारंटी

6.2. 2 एसएसए का कारण यह है कि अनुसूची 3 के खंड 7 के साथ-साथ प्रकटीकरण पत्र के अनुलग्नक सी के संयोजन में पढ़े गए एसएसए में उत्तरदाताओं द्वारा किए गए अभ्यावेदन और वारंटी में भौतिक तथ्यों के असत्य कथन शामिल थे क्योंकि एविटेल समूह का स्वतंत्र और वैध ग्राहकों के साथ लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर का तत्काल व्यवसाय नहीं था

बी. बी. सी. के साथ कथित संबंध सहित;

जी। खंड में निहित अभ्यावेदन और/या वारंटी 6.2. 3 एसएसए का कारण यह था कि एविटेल इंडिया या किसी सहायक के मामलों से संबंधित तथ्य या परिस्थितियाँ थीं जिनका दावेदार को खुलासा नहीं किया गया था और जिनका एविटेल इंडिया में निवेश करने के दावेदार के निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता था। न्यायाधिकरण के विचार में, यह तथ्य कि किंडेन और पर्पल पैशन भौतिक समय में मौजूद नहीं थे और कि हिगेंड, डिजिटल फ्यूजन और एस. पी. ए. सी. के एमिरेट्स के साथ बैंक खाते थे।

एन. डी. बी. का नियंत्रण श्री सिद्धार्थ जैन द्वारा किया जाता है, जिसका एविटेल इंडिया में निवेश करने के दावेदार के निर्णय पर प्रभाव पड़ता।

7.5 एस. एस. ए. की अनुसूची 3 का कारण यह है कि श्री सिद्धार्थ जैन समापन तिथि पर हाईएंड और डिजिटल फ्यूजन के उनतालीस प्रतिशत शेयरधारक थे, इसलिए इन संस्थाओं के साथ कोई भी लेनदेन संबंधित पक्ष लेनदेन थे जिनकी एस. एस. ए. की अनुसूची 3 के खंड 7.5 के अनुसार अनुमति नहीं थी और जो, किसी भी स्थिति में, एक हाथ की लंबाई के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला गया था;

जे. खंड में निहित अभ्यावेदन और/या वारंटी

10 एसएसए की अनुसूची 3 के लिए क्योंकि एविटेल इंडिया और [2020] 10 एस. सी. आर.

सहायकों के खाते लेखा तिथि पर एविटेल इंडिया और सहायकों की परिसंपत्तियों, देनदारियों और मामलों की स्थिति और संबंधित अवधि के लिए लाभ या हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं दे सकते थे। उदाहरण के लिए, किंडेन और पर्पल पैशन के साथ सामग्री अनुबंध समाप्ति तिथि पर मौजूद नहीं थे;

सभी भौतिक मामलों में सही था; 1. के खंड 11 में निहित अभ्यावेदन और वारंटी

एसएसए की अनुसूची 3 क्योंकि उत्तरदाता गलत तरीके से

इस बात का प्रतिनिधित्व किया और आश्वासन दिया कि एविटेल इंडिया और प्रत्येक सहायक सभी लागू कानूनों का भौतिक अनुपालन कर रहे थे, जो उपरोक्त अनुच्छेद 8.72 (ए) से (जे) में न्यायाधिकरण के निष्कर्षों के आलोक में मामला नहीं हो सकता था;

एम. खंड 6.1 में निहित अभ्यावेदन और वारंटी एस. एस. ए. का क्योंकि न्यायाधिकरण के निष्कर्षों के आलोक में

उपरोक्त पैराग्राफ 8.72 (ए) से (के) तक, एसएसए और एसएसए की अनुसूची 3 में किया गया प्रत्येक प्रतिनिधित्व और वारंटी सत्य, पूर्ण, सटीक और समापन पर भ्रामक नहीं था। तिथि "।

नतीजतन, पैराग्राफ 20 में, निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार दिया गया था

/ एसः

मौखिक सुनवाई और न्यायाधिकरण इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि वे उपस्थित होने में असमर्थ थे या उन्हें ऐसा करने से रोका गया था। नवंबर 2013 की मौखिक सुनवाई की तारीखें नौ महीने पहले तय की गई थीं। खुद को सुनना। यह केवल 19 अप्रैल 2013 को था जब प्रथम उत्तरदाता ने श्री योगीश गरोदिया के अनुरोध के माध्यम से इन तिथियों को 9 नवंबर 2013 के बाद की तारीखों में पुनर्निर्धारित करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन बिना किसी संकेत के कि उसने सटीक तिथियों की मांग की थी। दूसरे, तीसरे और चौथे उत्तरदाता ने नवंबर ए. वी. आई. टी. ई. एल. पोस्ट स्टडीज लिमिटेड और ओ. आर. एस. के पुनर्निर्धारण की मांग नहीं की।

2013 29 जुलाई 2013 तक मौखिक सुनवाई ने वैकल्पिक सुनवाई की तारीखों का कोई संकेत नहीं देते हुए कहा कि ईओडब्ल्यू अंतिम रिपोर्ट के मुद्दे के बाद उत्तरदाताओं को अपने गवाह के बयान दाखिल करने और मौखिक सुनवाई की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। न्यायाधिकरण ने इसे प्रेरक नहीं पाया क्योंकि अभी भी समय था। 15 अक्टूबर 2013 को बाद के पत्राचार में,

उत्तरदाताओं ने आगे जोर देकर कहा कि नवंबर 2013 की मौखिक सुनवाई भारत में छुट्टी की अवधि, अर्थात् दिवाली उत्सव के दौरान हुई। जबकि न्यायाधिकरण इसे स्वीकार करता है, यह सुनवाई जो सिंगापुर में निर्धारित की गई थी और साथ में आयोजित की जानी थी

इस अवधि के दौरान उत्तरदाता या प्रथम उत्तरदाता (श्री योगेश गारोडिया के माध्यम से) द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ उत्तरदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित पत्र कानूनी शब्दावली में लिखे गए थे, जिसमें कानूनी लैटिन परिभाषाओं का प्रयोग भी शामिल था। न्यायाधिकरण के विचार में सुनवाई की तारीखों को फिर से निर्धारित करने के लिए उत्तरदाताओं के आवेदनों को आपात मध्यस्थ के आदेशों का पालन करने में उत्तरदाताओं की विफलता की पृष्ठभूमि के खिलाफ देखा जाना चाहिए। सिंगापुर में कार्यवाही जिसमें उत्तरदाताओं को किया गया था

भारतीय और सिंगापुर दोनों के वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया और साक्ष्य प्रदान किए गए। उपरोक्त सभी न्यायाधिकरण को इन कार्यवाहियों में देरी करने के प्रयास का सुझाव देते हैं।

20.2 प्रत्यर्थियों ने कोई गवाह बयान नहीं दिया और इस न्यायाधिकरण के समक्ष कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, हालांकि न्यायाधिकरण स्वीकार करता है कि उन्होंने आपातकालीन मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में ऐसा किया था, अर्थात् श्री योगेश गरोदिया के गवाह बयान में। अपने निष्कर्षों और अपने निर्णयों तक पहुँचते हुए, इस न्यायाधिकरण ने उत्तरदाताओं की कई दलीलों और श्री योगीश गरोदिया के गवाह के बयान के साथ-साथ

दस्तावेजी साक्ष्य। दावेदार ने एक [2020] 10 एस. सी. आर. से साक्ष्य प्रदान किया।

गवाहों की संख्या और दस्तावेजी साक्ष्य भी। चूंकि उत्तरदाता नवंबर 2013 की मौखिक सुनवाई में शामिल नहीं हुए थे, इसलिए न्यायाधिकरण ने कई सवाल पूछकर दावेदार के गवाहों के साक्ष्य का परीक्षण किया। न्यायाधिकरण दावेदार के प्रत्येक गवाह को विश्वसनीय पाता है और यह उनके साक्ष्य को स्वीकार करता है जिसके कुछ हिस्से की पुष्टि दावेदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा की जाती है, जिसमें बी. बी. सी. में जनरल काउंसल सुश्री सारा जोन्स का 4 मई 2012 का एक ईमेल शामिल है, जिसमें पुष्टि की गई है कि बी. बी. सी. ने एविटेल इंडिया के साथ एक अनुबंध नहीं किया था, कि श्री जॉन लिनवुड ने 19 अप्रैल 2011 को श्री एंथनी बर्नबाम के साथ एक बैठक में भाग नहीं लिया था, लेकिन उसी समय बी. बी. सी. के कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक बैठक में थे।

20.3 संक्षेप में, न्यायाधिकरण ने पाया कि जैन परिवार (अर्थात् दूसरा, तीसरा और चौथा उत्तरदाता) दावेदार (एच. एस. बी. सी. का हिस्सा) को एविटेल इंडिया (अर्थात् पहला उत्तरदाता) में निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक जानबूझकर और बेईमान योजना में शामिल था। दावेदार ने निवेश इसलिए रखा क्योंकि जैन परिवार (एविटेल इंडिया की ओर से भी अभ्यावेदन देते हुए) ने मौखिक रूप से, लिखित रूप में और स्वयं एसएसए में सलाह दी थी कि एविटेल इंडिया ने 2 अगस्त 2011 से बीबीसी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, ताकि बीबीसी एविटेल इंडिया की सेवाओं का उपयोग कर सके। यह था।

झूठा है। न केवल बी. बी. सी. के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, बल्कि बी. बी. सी. को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी।

20.4 उत्तरदाताओं के गलत निरूपण और धोखे में एच. एस. बी. सी. के एक प्रतिनिधि और एक ऐसे व्यक्ति के बीच बैठक की व्यवस्था शामिल थी जिसे एच. एस. बी. सी. द्वारा गलत तरीके से पेश किया गया था।

उत्तरदाता और कथित रूप से मुख्य तकनीकी अधिकारी होने के लिए

बी. बी. सी. और जिसने गलत तरीके से पुष्टि की

उत्तरदाताओं की गलत प्रस्तुतियाँ। एस. एस. ए. के समापन से पहले और स्वयं एस. एस. ए. में अभ्यावेदन किए गए थे। उन्हें जानबूझकर झूठा बनाया गया था और वे धोखेबाज थे।

इसके परिणामस्वरूप, यह पाया गया कि एच. एस. बी. सी., धोखाधड़ीपूर्ण गलत निरूपण के लिए, और धोखाधड़ी के लिए अपकृत्य में इसके दावे के संबंध में, कुल 60 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि के साथ-साथ ब्याज लागत के नुकसान के रूप में दी गई है। तब पुरस्कार में की गई अंतिम घोषणा:

" 21.21 [न्यायाधिकरण] घोषणा करता है और आदेश देता है कि पूर्ण और बिना शर्त राशि का भुगतान करने वाले उत्तरदाताओं को ए. वी. आई. टी. ई. एल. पोस्ट स्टूडियो लिमिटेड और ओ. आर. एस. से सम्मानित किया गया।

पैराग्राफ में दावेदार को 21.15,21.16,21.18,21.19

इससे ऊपर और इससे उत्पन्न होने वाली और आकस्मिक सभी लागतें दावेदार की वरीयता सदस्यता शेयरों को रद्द करना और

एविटेल इंडिया में इक्विटी सदस्यता शेयर (एसएसए में परिभाषित),

कि उक्त शेयरों को रद्द कर दिया जाए और इस संबंध में, पक्षकार

30 के भीतर उक्त रद्दीकरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ।

इस तरह के भुगतान की प्राप्ति के दिन।

21. इन मुद्दों को पढ़ने के बाद कोई संदेह नहीं हो सकता है।

और विदेशी अंतिम पुरस्कार में कुछ भौतिक निष्कर्ष जो उठाए गए और जवाब दिए गए मुद्दे आपराधिक कार्यवाही के विपरीत दीवानी विषय हैं। तथ्य यह है कि एक अलग आपराधिक कार्यवाही थी

शुरू करने की कोशिश की गई और हो सकता है कि विफल रही हो, इसका कोई परिणाम नहीं है। इसलिए हम इन तथ्यों के संदर्भ में और अपने निर्णयों का पालन करते हुए मानते हैं कि विदेशी अंतिम पुरस्कार में उठाए गए और जवाब दिए गए मुद्दों से संकेत मिलेगाः

(i) ऐसी कोई धोखाधड़ी नहीं है जो मध्यस्थता को दूषित कर सके।

एस. एस. ए. में पक्षकारों के बीच उपखंड बनाया गया क्योंकि यह स्पष्ट है कि इस खंड को एक स्वतंत्र खंड के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, कोई भी निष्कर्ष कि अनुबंध स्वयं धोखाधड़ी या गलत निरूपण के परिणामस्वरूप या तो अमान्य है या अमान्य है, मध्यस्थता खंड की अयोग्यता को शामिल नहीं करता है जो अत्यंत व्यापक है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जा सकता हैः

इस समझौते के साथ, इसके अस्तित्व के बारे में किसी भी प्रश्न सहित, वैधता, व्याख्या, उल्लंघन या समाप्ति।

(जोर दिया गया)

((ii) प्रतिरूपण, किए गए झूठे अभ्यावेदन, और

धन का हस्तांतरण सभी अंतर-पक्ष हैं, जिनका कोई "सार्वजनिक स्वाद" नहीं है जैसा कि पैराग्राफ 14 में समझाया गया है ताकि "धोखाधड़ी अपवाद" को आकर्षित किया जा सके।

22. इस प्रकार, इस मामले में विदेशी अंतिम पुरस्कार का एक पठन होगा

यह दर्शाता है कि वास्तव में एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है क्योंकि पुरस्कार बीबीसी लेनदेन को एक आधार के रूप में मानता है जिसके आधार पर अनुबंध किया गया था और एचएसबीसी द्वारा 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया था, जो स्पष्ट रूप से अनुबंध अधिनियम की धारा 17

के तहत अनुबंध में प्रवेश करने के लिए धोखाधड़ी के प्रलोभन के अंतर्गत आता है। एच. एस. बी. सी. के कहने पर ऐसा अनुबंध अमान्य होगा। इसके अलावा, बीबीसी अनुबंध के प्रदर्शन के लिए आवंटित किए जाने वाले धन की हेराफेरी पर निष्कर्ष छल के अत्याचार को आकर्षित करेंगे। इस तरह के धोखाधड़ीपूर्ण गलत निरूपण के लिए नुकसान का माप शेयरों के मूल्य [2020] 10 एस. सी. आर. के बीच का अंतर नहीं है।

अनुबंध करने की तारीख और एचएसबीसी का मूल्य होगा

प्राप्त किया, यदि उसने खरीद के बाद उन शेयरों को बाजार में फिर से बेच दिया था। जैसा कि ऊपर बताए गए निर्णयों में कहा गया है, इस तरह के नुकसान का उपाय एच. एस. बी. सी. को उसी स्थिति में रखना होगा जैसे कि

अनुबंध में कभी भी प्रवेश नहीं किया गया था, जो कि शेयरों और सभी परिणामी नुकसानों के लिए भुगतान की गई कीमत की वसूली का अधिकार है। यह मामला होने के कारण, ऐसे मामलों में नुकसान के माप के बारे में डिवीजन बेंच के निष्कर्ष को स्वीकार करना मुश्किल है।

23. जहाँ तक मेसर्स द्वारा उठाए गए अन्य बिंदुओं का संबंध है। हम कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं, जैसा कि किसी भी निष्कर्ष पर कहा गया है, वैसे ही हम इस बारे में चिंतित हैं, जैसे कि मुकुल रोहतगी और सौरभ कृपाल।

ये बिंदु भी प्रथम दृष्टया बॉम्बे उच्च न्यायालय में लंबित धारा 48 की कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। जहाँ तक एच. एस. बी. सी. की अपील का संबंध है, हमारा विचार है कि इसमें सार है कि एकल न्यायाधीश के आदेश के माध्यम से अलग रखे जाने वाले 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर निष्पक्ष और मामले के तथ्यों में न्यायसंगत थे क्योंकि यह केवल बिना किसी ब्याज या लागत के मूल राशि है जिसे अलग रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, इस मामले के तथ्यों में नुकसान के माप पर हमारे निष्कर्ष को देखते हुए डिवीजन बेंच द्वारा 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी उचित नहीं है।

24. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय में तथ्यों पर किया गया कोई भी निष्कर्ष केवल धारा 9 याचिका पर निर्णय लेने के उद्देश्य से प्रथम दृष्टया है। हम.

मान लिया है कि एच. एस. बी. सी. ने प्रथम दृष्टया एक मजबूत मामला बनाया है

यह आवश्यक है कि 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर, उन्हें दी गई मूल राशि होने के नाते, बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इंगित तरीके से अलग रखा जाए। सुविधा का संतुलन भी इसके पक्ष में है। यह स्पष्ट है कि यदि एच. एस. बी. सी. को 1996 के अधिनियम की धारा 48 के अनुसार भारत में विदेशी अंतिम पुरस्कार लागू करना था, तो उसे तब तक अपूरणीय नुकसान होगा जब तक कि कम से कम मूल राशि नहीं रखी जाती।

भारत में पुरस्कार के प्रवर्तन के उद्देश्यों के लिए अलग। तदनुसार, हम एविटेल इंडिया और जैन परिवार द्वारा दायर 2016 की सिविल अपील No.5145 को खारिज करते हैं, और एचएसबीसी द्वारा दायर 2016 की सिविल अपील No.5158 को अनुमति देते हैं।

2016 की सिविल अपील संख्या 9820

25. इस मामले में, अपीलार्थी एविटेल इंडिया के शेयरों में एक दूत निवेशक है। दिनांक 04.07.2016 के एक पत्र द्वारा, अपीलार्थी ने यहाँ व्यक्त किया बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 22.01.2014 आदेशों के माध्यम से कंपनी के बैंक खाते की टिप्पणियों और फ्रीज पर उनकी चिंता और

31.07.2014 . अपीलार्थी ने 11.07.2016 पर एविटेल इंडिया के निदेशक मंडल की एक बैठक में भाग लिया, जिसमें कंपनी के अध्यक्ष,

अर्थात्, श्री प्रदीप जैन ने अपीलार्थी को ए. वी. आई. टी. ई. एल. पोस्ट स्टडीज लिमिटेड एंड ओ. आर. एस. के बारे में कुछ विस्तार से समझाया।

एच. एस. बी. सी. द्वारा कंपनी के खिलाफ दायर की गई कार्यवाही और मध्यस्थों और न्यायालयों द्वारा पारित आदेश। सभापति ने यह विचार व्यक्त किया कि अंततः उनके इस मुकदमे में सफल होने की संभावना है। अपीलार्थी ने कहा कि वह इस दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं है और उसने 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ निवेशित धन की वापसी के लिए कहा। अध्यक्ष ने कहा कि अपीलार्थी द्वारा निवेश की गई राशि इक्विटी शेयरों में थी, जो कंपनी की निश्चित पूंजी थी और इस तरह के निवेश का कोई भी प्रतिफल कानून में स्वीकार्य नहीं है। अपीलार्थी ने तब निम्नलिखित बात कही, जो दिनांक 11.07.2016 की बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज है:

" श्री सावला ने कहा कि वे दस्तावेजों का अध्ययन करना चाहेंगे।

और जब तक पूर्ण औचित्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तब तक सामग्री को आराम नहीं देगा, यदि आवश्यक हो तो इसमें शामिल मुद्दों के निवारण के लिए उत्पन्न होता है। उन्होंने अनुरोध किया कि विवादों का निर्णय एक मध्यस्थ द्वारा किया जाए। बोर्ड सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई कि श्री रवींद्र सावला द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद को, जब तक कि वे कानून के तहत मध्यस्थ हैं, संदर्भित किया जाएगा।

भारतीय कानून के अनुसार मध्यस्थता। श्री रवीन्द्र सावला ने कहा कि वह उन्हें प्रदान किए गए कागजातों की जांच करेंगे और उसकी आगे की कार्रवाई निर्धारित करें।

श्री रवीन्द्र सावला ने आगे अनुरोध किया कि निदेशक मंडल की इस बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति उन्हें उपलब्ध कराई जाए। सभापति ने उक्त अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

26. लगभग तुरंत, अपीलार्थी ने 1996 के अधिनियम के तहत विद्वान ए. डी. जे., मोहाली के समक्ष एक धारा 9 याचिका दायर की, जिसका निर्णय दिनांक 03.08.2016 के एक निर्णय द्वारा किया गया था, जिसमें विद्वान ए. डी. जे. ने अभिनिर्धारित किया कि बोर्ड के संकल्प दिनांक 11.07.2016 से केवल यह पता चलता है कि अपीलार्थी द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद को भारतीय कानून के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

कानून, बशर्ते वे मध्यस्थ विवाद हों। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि एच. एस. बी. सी. और अवितेल समूह/जैन परिवार के बीच विवाद में एच. एस. बी. सी. द्वारा धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए थे, इसलिए इस तरह का विवाद भारतीय कानून के अनुसार मध्यस्थता योग्य नहीं होगा। अन्यथा भी, विद्वान ए. डी. जे. के अनुसार, यह विवाद (यानी एच. एस. बी. सी. और अवितेल समूह/जैन परिवार के बीच विवाद) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है, और उस न्यायालय द्वारा किए गए किसी भी निर्णय का इस मामले में भी पक्षों के बीच विवाद पर सीधा असर पड़ेगा। अतः यह अभिनिर्धारित किया गया:

" 11. ऊपर की गई विस्तृत चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि याचिकाकर्ता एक शेयरधारक है और उसका कोई विशिष्ट अलग मध्यस्थता समझौता नहीं है, इसलिए भारतीय कानून के अनुसार कोई मध्यस्थता विवाद उत्पन्न नहीं होता है, जिसे मध्यस्थता या [2020] 10 एस. सी. आर. के लिए संदर्भित किया जा सकता है।

सुविधा आवेदक के पक्ष में नहीं है और यदि इस आवेदन की अनुमति नहीं है तो आवेदक को कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी। इस प्रकार अधिनियम की धारा 9 और सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत राहत देने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है और आवेदन तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। फाइल को अभिलेख में भेजा जाना चाहिए कमरा। ' 99

27. इस फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई थी। उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश, द्वारा

दिनांक 02.09.2016 के विवादित फैसले में कहा गया कि अंतिम राहत की मांग शेयरों के रद्द होने के साथ-साथ ब्याज के साथ निवेश की गई राशि की वापसी है। इस तरह के विवाद कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। इसलिए, उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों के बाद, अपीलार्थी द्वारा मध्यस्थता के लिए मांगे गए उपाय को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को देखते हुए निहितार्थ द्वारा बाधित किया जाएगा। "धोखाधड़ी अपवाद" पर कुछ विस्तार से चर्चा करने और यह कहने के बाद कि धोखाधड़ी और प्रतिरूपण के गंभीर आरोप मनमाने नहीं हैं, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकालाः

" पूर्वगामी कारणों से, मेरा विचार है कि मुख्य रूप से, अपीलकर्ता एच. एस. बी. सी. के मामले के साथ समानता का मामला बनाने की कोशिश कर रहा है, जो पहले से ही सक्षम न्यायालय के समक्ष एक उप-न्यायिक मामला है, लेकिन ऊपर वर्णित तथ्यों के अनुसार, मेरा विचार है कि धोखाधड़ी का प्रथम दृष्टया आरोप, जैसा कि पहले ही ऊपर देखा गया है, मध्यस्थता विवाद के दायरे में नहीं आएगा और इसलिए, ठीक है। निचली अदालत ने
मांगी गई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। मैं चुनौती के तहत आदेश से असहमत होने का इरादा नहीं रखता। हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है।

याचिका खारिज कर दी जाती है "।

28. 2016 की सिविल अपील No.5145 और 2016 की सिविल अपील No.5158 के फैसले को ध्यान में रखते हुए, हम इस अपील में विवादित विद्वान ए. डी. जे. और विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसलों को दरकिनार करते हैं और मामले को ए. डी. जे., मोहाली द्वारा नए सिरे से निर्णय के लिए रिमांड करते हैं। इस दीवानी अपील को तदनुसार अनुमति दी जाती है, 03.08.2016 और 02.09.2016 दिनांकित निर्णयों को दरकिनार कर दिया जाता है, और मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से निपटारे के लिए ADJ, मोहाली को भेज दिया जाता है। अंकित ज्ञान

अपी

ल का निपटारा किया गया।